

वार्षिक लेखा 2020-2021



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली - 110002
www.ugc.ac.com

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मुद्रित : दिसम्बर, 2021

80 प्रतियां

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002

डिजाईन एवं मुद्रण : दीया मीडिया आर्ट

: डी-41/ए, मेट्रो पिलर 33 के सामने, विकास मार्ग,

: लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

: फोन: 9312550335 | ई-मेल : infodma07@gmail.com

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वित्तीय विवरण 2020-2021

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ
वित्तीय विवरण	
तुलन पत्र 31 मार्च 2021	5
आय और व्यय खाता 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	6
प्राप्तियां और भुगतान खाते- 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए	7
अनुसूचियां और अनुबंध	
तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां (1 से 8)	8-17
आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां (9 से 22)	18-33
अनुबंध-1 के अनुसार बैंक शेष (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	34-36
राजस्व व्यय अनुदान के लिए अनुबंध	37-51
वार्षिक खाता जीपीएफ	52-54
वार्षिक खाता एनपीएस	55-57
टिप्पणियाँ और नीतियां	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची -23)	58
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां (अनुसूची-24)	59-60
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	61-77
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियां	78-94

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

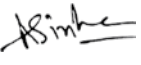
तुलन पत्र 31 मार्च, 2021

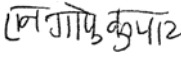
(राशि रुपये में)

निधियों का स्रोत	अनुसूची	2020-2021	2019-2020
कॉर्पस/पूँजीगत निधि	1	(3,395,759,389)	1,878,442,435
नामित/निर्धारित/अक्षय निधि	2	370,054,846	929,173,637
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	9,949,404,629	5,249,341,252
कुल		6,923,700,086	8,056,957,324
निधियों का आवेदन			
अचल संपत्तियां	4		
मूर्त संपत्ति		57,217,305	62,402,430
अमूर्त संपत्ति		-	-
कैपिटल वर्क्स-इन-प्रोग्रेस		-	-
निर्धारित / अक्षय निधि से निवेश	5		
दीर्घावधि		4,691,341	4,510,330
अल्पावधि		-	-
अन्य निवेश	6		
वर्तमान संपत्ति	7	6,702,383,099	7,835,999,829
ऋण, अग्रिम और जमा	8	159,408,341	154,044,735
कुल		6,923,700,086	8,056,957,324
सिद्धांत लेखा नीतियां	23		
खातों के लिए टिप्पणियाँ	24		

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपु कुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

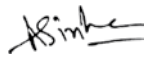
आय और व्यय खाता 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए

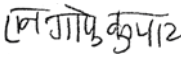
(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2020-2021	2019-2020
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	-	-
अनुदान/सब्सिडी	10	126,805,469,293	132,252,480,987
निवेश से आय	11	-	-
अर्जित ब्याज	12	267,194,823	635,729,295
अन्य आय	13	35,451,094	1,966,448
पूर्व अवधि आय	14	-	-
कुल (क)		127,108,115,210	132,890,176,730
व्यय			
स्टाफ भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	15	5,802,582,922	795,683,425
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	10	125,966,640,273	131,121,559,495
शैक्षणिक व्यय	16	-	-
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	537,610,924	942,881,720
परिवहन खर्च	18	4,700,804	6,920,354
मरम्मत और रख रखाव	19	14,465,051	6,138,248
वित्त लागत (बैंक शुल्क)	20	10,699	121,327
अन्य खर्च	21	-	-
पूर्व अवधि व्यय	22	51,121,236	16,872,160
मूल्यहास	4	9,591,720	9,439,463
कुल (ख)		132,386,723,629	132,899,616,193
व्यय से अधिक आय का शेष होना (क -ख)		-5,278,608,419	-9,439,463
नामित निधि में / से स्थानांतरण		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)		-	-
बैलेंस बीइंग सरप्लस / (घाटा) को कॉर्पस में ले जाया गया पूंजी कोष		-5,278,608,419	-9,439,463
सिद्धांत लेखा नीतियां	23		
खातों के लिए टिप्पणियाँ	24		

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

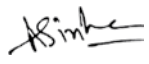
प्राप्तियां और भुगतान खाता वर्ष 31 मार्च 2021 अवधि को समाप्त वर्ष के लिए

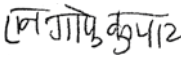
(राशि रुपये में)

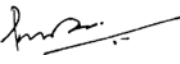
प्राप्तियां	2020-2021	2019-2020	भुगतान	2020-2021	2019-2020
प्रारंभिक शेष			व्यय		
बैंक शेष			स्थापना व्यय	533,566,223	795,683,425
बचत खाते (मुख्यालय)	7,332,742,975	10,289,837,003	प्रशासनिक व्यय	535,667,100	946,890,580
बचत खाते (आरओ)	503,256,853	287,475,290	परिवहन खर्च	4,700,804	6,920,354
जमा खातों में (मुख्यालय)	4,510,330	611,884,567	मरम्मत और रख रखाव	14,465,051	6,138,248
जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस ए/सी . में	-	9,988,013	वित्त लागत (बैंक शुल्क)	10,699	121,327
			पूर्व अवधि व्यय	51,121,236	16,872,160
अनुदान अधिकृत			निर्धारित / अक्षय निधि के लिए भुगतान (अनुसूची 11)	-	-
मंत्रालयों से	131,351,300,000	127,658,564,000	निर्धारित / अक्षय निधि के लिए भुगतान (अनुसूची 2)	2,856,139,126	26,323,642
विभिन्न संस्थानों से अनुदान की वापसी	1,948,009,563	2,157,768,136	अनुदान पर व्यय	125,966,640,273	131,121,559,495
ईयरमार्क फंड से प्राप्त राशि (अनुसूची 2 .)			अन्य भुगतान	3,216,129	13,207,247
अग्रिमों की वसूली (अनुसूची 7)		-	अचल संपत्तियां (अनुसूची 4)	4,406,595	8,549,927
			शिक्षा मंत्रालय को वापस की गई राशि	542,722,940	639,616,629
			वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान व्यपगत	6,516,287,702	-
			जमा खाता जीपीएफ में स्थानांतरित	-	607,840,000
व्याज आय			बैंक बैलेंस जीपीएफ/एनपीएस में स्थानांतरित किया गया	-	9,967,408
बैंक जमा	119,817,609	341,721,609	अन्य भुगतान	1,320,179	-
ऋण और अग्रिम	91,514	68,103			
बचत बैंक खाते (अनुसूची 12)	145,138,223	305,307,595	निवेश और अग्रिम	-	-
निर्धारित / अक्षय निधि के लिए रसीद (अनुसूची 2)	2,297,020,335	373,048,052	अंतिम शेष		
			बैंक शेष		
अन्य आय (अनुसूची 13)	35,451,094	1,966,448	जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस खाते . में	-	-
अन्य रसीद		2,571,785	बचत खातों में (मुख्यालय)	6,682,278,364	7,332,742,975
			बचत खातों में (आरओ)	20,104,735	503,256,853
			जमा खातों में (अनुसूची 5)	4,691,341	4,510,330
कुल	143,737,338,497	142,040,200,602	कुल	143,737,338,497	142,040,200,602

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

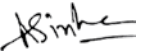
अनुसूची 1- कॉर्पस/पूँजीगत निधि

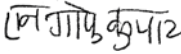
(राशि रुपये में)

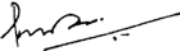
विवरण	2020-2021	2019-2020
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,878,442,435	2,510,967,318
जमा: कॉर्पस/पूँजीगत निधि में योगदान	-	-
जमा: पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग की गई सीमा तक भारत सरकार से अनुदान	4,406,595	9,112,097
जमा: निर्धारित निधि से खरीदी गई संपत्तियां	-	-
जमा: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित वर्ष के लिए घाटा/अधिशेष	-	-
जमा: एफडीआर परिपक्व यूजीसी नेट	-	-
घटा शिक्षा मंत्रालय को राशि वापसी	-	639,616,629
घटा: जीपीएफ कॉर्पस फंड की राशि	-	16,928,919
घटा: एनपीएस कॉर्पस फंड की राशि	-	21,074
जमा: लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार अग्रिम का समायोजन	-	15,000,000
जमा: लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार समायोजन	-	9,369,105
जमा: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित व्यय से अधिक आय	-5,278,608,419	-9,439,463
कुल	(3,395,759,389)	1,878,442,435
(कटौती) आय और व्यय खाते से अंतरित घाटा	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	(3,395,759,389)	1,878,442,435

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

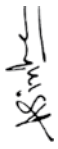
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अनुसूची 2- नामित / निर्धारित / अक्षय निधि

(राशि रुपये में)

विवरण	फंड वार ब्रेकअप					कुल	
	अक्षय निधि	मौलाना आजाद अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2020-2021	2019-2020
क							
क) प्रारंभिक शेष	9,931,071	284,670,515	73,169,169	452,552,674	8,850,208	929,173,637	582,449,227
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	735,000,000	30,000,000	1,189,975,683	-	2,254,975,683	3,991,600,000
ग) निधियों से किए गए निवेश से आय	106,291	12,502,723	6,170,833	13,844,926	-	32,624,773	67,271,334
घ) निवेश/अग्रिम पर अर्जित ब्याज	166,491	-	-	-	-	166,491	136,922
ङ) बचत बैंक खाते पर ब्याज	190,964	2,224	2,067	1,797	283,050	480,102	1,245,089
च) अन्य परिवर्धन (स्वरूप निर्दिष्ट करें)	-	3,411,842	802,790	3,340,341	1,218,313	8,773,286	15,202,291
कुल (क)	10,394,817	1,035,587,304	510,144,859	1,659,715,421	10,351,571	3,226,193,972	4,657,904,863
ख)							
निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय							
i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय	-	993,720,878	461,298,757	1,400,681,010	438,481	2,856,139,126	3,728,731,226
कुल (ख)	-	993,720,878	461,298,757	1,400,681,010	438,481	2,856,139,126	3,728,731,226
वर्ष के अंत में अंतिम शेष (क - ख)	0,394,817	41,866,426	48,846,102	259,034,411	9,913,090	370,054,846	929,173,637
द्वारा प्रस्तुत							
नकद और बैंक शेष	5,474,783	25,000	124,575	123,197	9,913,090	15,660,645	924,526,385
निवेश	4,691,341	41,841,426	48,721,527	258,911,214	-	354,165,508	4,510,330
ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	228,693	-	-	-	-	228,693	136,922
कुल	10,394,817	41,866,426	48,846,102	259,034,411	9,913,090	370,054,846	929,173,637

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(मो. रजनीश जैन)
सचिव

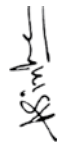
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अनुसूची 2क- बंदोबस्ती निधि अक्षय निधि

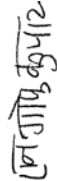
(राशि रुपये में)

1. क्रमांक	2. बंदोबस्ती का नाम	अवशेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		कुल		10. वर्ष के दौरान वस्तु पर व्यय	अंतिम शेष		कुल (11+12)
		3. अक्षय निधि	4. संचित व्याज	5. अक्षय निधि	6. व्याज	7. वापसी	8. अक्षय निधि (3+5+7)		11. अक्षय निधि	12. संचित व्याज	
1	अक्षय निधि	9,931,071	-	-	463,746	-	9,931,071	-	9,931,071	463,746	10,394,817
2	मौलाना आजाद अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	260,050,211	24,620,304	735,000,000	12,504,947	3,411,842	998,462,053	993,720,878	4,741,175	37,125,251	41,866,426
3	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	151,350,798	21,818,371	330,000,000	6,172,900	802,790	482,153,588	461,298,757	20,854,831	27,991,271	48,846,102
4	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	415,884,207	36,668,467	1,189,975,683	13,846,723	3,340,341	1,609,200,231	1,400,681,010	208,519,221	50,515,190	259,034,411
5	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	8,473,719	376,489	-	283,050	1,218,313	9,692,032	438,481	9,253,551	659,539	9,913,090
कुल		845,690,006	83,483,631	2,254,975,683	3,271,366	8,773,286	3,109,438,975	2,856,139,126	253,299,849	116,754,997	370,054,846

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(मो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

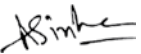
अनुसूची 3- वर्तमान देयताएं और प्रावधान

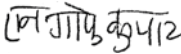
(राशि रुपये में)

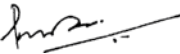
विवरण	2020-2021	2019-2020
वर्तमान देनदारियां		
जीवन बीमा प्रीमियम-प्रतिनियुक्ति	-	-
समूह बीमा योजना-प्रतिनियुक्ति	-	-
जीआईएस (कर्मचारी)	-	13,024
लाइसेंस शुल्क	57,143	-
समय बाधित चेक	-	-
संपदा कार्यालय	1,018,001	740,412
कोर्ट की वसूली	-	-
वाहन अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	-	-
निजी पार्टियों-दायित्वों से सुरक्षा जमा	895,880	2,244,680
कर कटौती अभी जमा की जानी है	-	999,214
एलआईसी अंतिम भुगतान	706,127	-
एनपीएस-आरओ	-	-
अप्रयुक्त अनुदान	4,672,147,994	5,241,724,961
कुल (क)	4,674,825,145	5,245,722,291
विविध लेनदार	336,454	1,041,390
देय व्यय	5,226,331	2,577,571
कुल (ख)	5,562,785	3,618,961
प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण देय	170,338,970	-
देय ग्रेच्युटी	280,012,202	-
पेंशन देय	4,818,665,527	-
कुल (ग)	5,269,016,699	-
कुल (क+ख+ग)	9,949,404,629	5,249,341,252

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

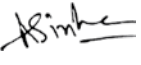
अनुसूची 3सी- यूजीसी, भारत सरकार से अनुपयुक्त अनुदान

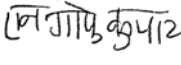
(राशि रुपये में)

विवरण	2020-2021	2019-2020
अनुदान: भारत सरकार		
शेष अंग्रेजित	5,241,724,961	7,686,985,909
जमा : वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान	131,351,300,000	127,658,564,000
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान व्यपगत हो गया	6,516,287,702	-
कुल (क)	130,076,737,259	135,345,549,909
घटा: मंत्रालय को धनवापसी	542,722,940	-
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	124,857,459,730	130,094,712,851
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	4,406,595	9,112,097
कुल (ख)	125,404,589,265	130,103,824,948
अप्रयुक्त सी/एफ (क -ख)	4,672,147,994	5,241,724,961

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 4- अचल संपत्ति

(राशि रुपये में)

संपत्ति शीर्ष	कुल संपत्तियाँ			वर्ष 2020-2021 के लिए मूल्यहास				शुद्ध संपत्तियाँ	
	प्रारंभिक शेष 01.04.2020	परिवर्धन	कटौती	अंतिम शेष	मूल्यहास प्रारंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियाँ/समायोजन	31.03.2021	31.03.2020
फनहचर और स्थिरता	22,440,501	350,781	-	22,791,282	11,539,882	1,709,346	-	9,542,054	10,900,619
विजली के उपकरण	55,433,159	1,995,193	-	57,428,352	20,413,635	2,871,418	-	34,143,299	35,019,524
कंप्यूटर सहायक उपकरण	96,905,262	2,057,817	-	98,963,079	86,752,960	3,883,206	-	8,326,913	10,152,302
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,681,127	2,804	-	1,683,931	1,162,061	168,393	-	353,477	519,066
मोटर गाड़ी	6,693,208	-	-	6,693,208	3,843,343	669,321	-	2,180,544	2,849,865
कार्यालय उपकरण	3,867,141	-	-	3,867,141	906,089	290,036	-	2,671,018	2,961,054
कुल (क)	187,020,398	4,406,595	-	191,426,993	124,617,970	9,591,720	-	57,217,305	62,402,430

पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (ख)									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

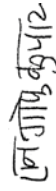
अमूर्त संपत्ति	कुल संपत्तियाँ			वर्ष 2020-2021 के लिए मूल्यहास				शुद्ध संपत्तियाँ	
	प्रारंभिक शेष 01.04.2020	परिवर्धन	कटौती	अंतिम शेष	मूल्यहास उद्घाटन संतुलन	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियाँ/समायोजन	31.03.2021	31.03.2020
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-पत्रिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	187,020,398	4,406,595	-	191,426,993	124,617,970	9,591,720	-	57,217,305	62,402,430

स्थान :

दिनांक :



(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

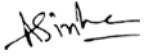
अनुसूची 5- निर्धारित / अक्षय निधि से निवेश

(राशि रुपये में)

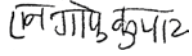
विवरण	2020-2021	2019-2020
	निर्धारित निधि	निर्धारित निधि
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
बैंकों के साथ सावधि जमा	4,691,341	4,510,330
अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	4,691,341	4,510,330

स्थान :

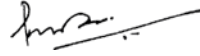
दिनांक :



(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

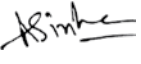
अनुसूची 6- निवेश- अन्य

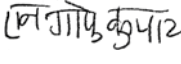
(राशि रुपये में)

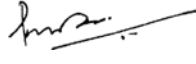
विवरण	2020-2021	2019-2020
1. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
4. शेयर	-	-
5. डिबेंचर और बांड	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	-	-

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 7- वर्तमान संपत्ति

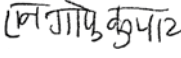
(राशि रुपये में)

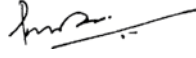
विवरण	2020-2021	2019-2020
बैंक बैलेंस एवं निवेश-यूजीसी		
रोकड़ शेष	-	-
बचत बैंक खाता मुख्यालय	6,682,278,364	7,332,742,975
बचत बैंक खाता क्षेत्रीय कार्यालय	20,104,735	503,256,853
बैंक बैलेंस और निवेश-जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस-खाता		
जीपीएफ-बचत बैंक खाता - केनरा बैंक-441	-	-
सीपीएफ-बचत बैंक खाता- केनरा बैंक-442	-	-
एनपीएस- बचत बैंक खाता- केनरा बैंक-812	-	-
कुल	6,702,383,099	7,835,999,829

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

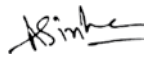
अनुसूची 8- ऋण, अग्रिम और जमा

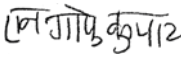
(राशि रुपये में)

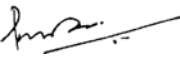
विवरण	2020-2021	2019-2020
अग्रिम और अन्य संपत्ति		
सीपीडब्ल्यूडी के साथ अग्रिम	93,592,832	89,783,222
सरकारी संपत्ति के साथ सुरक्षा जमा	365,356	365,356
गृह निर्माण अग्रिम	-	-
गृह निर्माण अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	-	-
वाहन अग्रिम	184,321	192,321
त्योहार अग्रिम	690,075	83,075
कंप्यूटर अग्रिम	90,209	63,790
जीवन बीमा योजना	-	-
समूह बीमा योजना	-	-
लाइसेंस शुल्क-सरकारी आवास	-	-
एनडीएमसी	-	-
विविध प्राप्तियां-प्रतिनियुक्ति	-	-
यूजीसी-एनपीएस रिकवरी	-	-
सीपीएफ खाता से प्राप्य ब्याज	-	-
बैठक और सम्मेलन के लिए अग्रिम	626,290	631,290
टेलीफोन के लिए अग्रिम	2,583,609	2,583,609
लाइसेंस शुल्क अग्रिम	-	-
एंटी रैगिंग सेल	5,000,000	5,000,000
एलटीसी अग्रिम	321,000	698,420
चिकित्सा अग्रिम	385,200	1,166,044
पूर्वभुगतान बीमा	29,676	481
एनआईसीएसआई के साथ अग्रिम	-	-
किरोड़ीमल कॉलेज के लिए अग्रिम	15,000,000	15,000,000
विविध अग्रिम - कार्यालय व्यय	22,071,245	22,323,645
प्रीपेड एएमसी	492,776	331,217
टीए/डीए आधिकारिक अग्रिम	320,000	320,000
प्रकाशन अग्रिम	2,200,000	2,227,500
प्रीपेड सदस्यता	-	-
अन्य परिसंपत्तियां		
टीडीएस प्रेषण	74,250	-
एमप्रेस्ट मनी अग्रिम	-	46,000
मोटर कार/मोटर साइकिल रखरखाव अग्रिम	66,348	61,088
ई-गवर्नेंस इनफ्लिबनेट एस्टेट अग्रिम	12,196,000	12,196,000
अर्जित आय		
अक्षय निधि पर अर्जित ब्याज एफ डी आर	228,693	136,922
सीपीएफ एफडीआर पर अर्जित ब्याज	-	-
जीपीएफ एफडीआर पर अर्जित ब्याज	-	-
अर्जित ब्याज	2,890,461	834,755
कुल	159,408,341	154,044,735

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

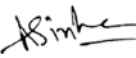
अनुसूची 9- शैक्षणिक प्राप्तियां

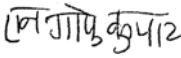
(राशि रुपये में)

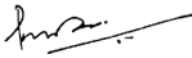
विवरण	2020-2021	2019-2020
विद्यार्थियों से शुल्क		
शैक्षिक		
1. शिक्षा शुल्क	-	-
2. प्रवेश शुल्क	-	-
3. नामांकन शुल्क	-	-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	-	-
5. प्रयोगशाला शुल्क	-	-
6. कला और शिल्प शुल्क	-	-
7. पंजीयन शुल्क	-	-
8. पाठ्यक्रम शुल्क	-	-
कुल (क)	-	-
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	-	-
3. मार्कशीट, सर्टिफिकेट शुल्क	-	-
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
कुल (ख)	-	-
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	-	-
2. जुर्माना/विविध शुल्क/दंड शुल्क		
3. चिकित्सा शुल्क	-	-
4. परिवहन शुल्क	-	-
5. छात्रावास शुल्क	-	-
6. संस्थानों से प्रसंस्करण शुल्क/विनियामक शुल्क		
कुल (ग)	-	-
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री	-	-
2. पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र आदि की बिक्री	-	-
3. प्रवेश प्रपत्रों सहित विवरणिका की बिक्री	-	-
कुल (घ)	-	-
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां		
1. कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय)	-	-
कुल (ङ)	-	-
कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	-	-

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

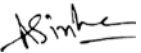
अनुसूची 10- अनुदान और सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान)

(राशि रुपये में)

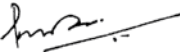
विवरण	2020-2021	2019-2020
	भारत सरकार	भारत सरकार
शेष अग्रेनित	5,241,724,961	7,686,985,909
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान	131,351,300,000	127,658,564,000
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान व्यपगत	6,516,287,702	-
जमा: वर्ष के दौरान आय	302,645,917	637,695,743
कुल	130,379,383,176	135,983,245,652
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	4,406,595	9,112,097
घटा: शिक्षा मंत्रालय को धनवापसी	542,722,940	-
जमा: अव्ययित अनुदान की वापसी	1,948,009,563	2,157,768,136
शेष	131,780,263,204	138,131,901,691
घटा: अनुदान और सब्सिडी के लिए उपयोग किया गया	125,966,640,273	131,121,559,495
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	1,141,474,937	1,768,617,234
शेष सी/एफ (सी)	4,672,147,994	5,241,724,961

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 11- निवेश से आय

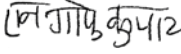
(राशि रुपये में)

विवरण	निर्धारित / अक्षय निधि		अन्य निवेश	
	2020-2021	2019-2020	2020-2021	2019-2020
ब्याज	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
अन्य बांड / डिबेंचर	-	-	-	-
सावधि जमा पर ब्याज	-	-	-	-
बचत बैंक खातों पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
निर्धारित / अक्षय निधि में स्थानांतरित			-	-
शेष	-	-	-	-

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

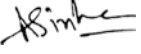
अनुसूची 12- अर्जित ब्याज

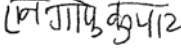
(राशि रुपये में)

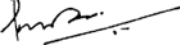
विवरण	2020-2021	2019-2020
अनुसूचित बैंकों के बचत खातों पर	109,978,466	262,047,776
अनुसूचित बैंकों के फ्लेक्सी खातों पर	121,965,086	330,353,597
क्षेत्रीय कार्यालय		
सीआरओ भोपाल	16,471,470	2,273,100
ईआरओ कोलकाता	1,201,240	3,231,004
डब्ल्यूआरओ - पुणे	6,578,231	6,486,065
सेरो हैदराबाद	1,797,331	23,046,850
एसडब्ल्यूआरओ- बेंगलूर	4,574,576	2,975,365
नीरो-गुवाहाटी	4,536,910	5,247,435
ऋण पर		
कर्मचारी/स्टाफ़	91,514	68,103
अन्य	-	-
देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर	-	-
कुल	267,194,823	635,729,295

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

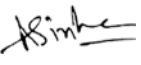
अनुसूची 13- अन्य आय

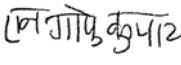
(राशि रुपये में)

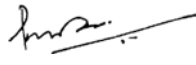
विवरण	2020-2021	2019-2020
भूमि और भवनों से आय		
छात्रावास का कमरा किराया	-	-
लाइसेंस शुल्क (यूजीसी स्टाफ क्वार्टर)	12,480	12,480
सभागार/खेल का मैदान/सम्मेलन केंद्र आदि का किराया प्रभार	-	-
विजली शुल्क वसूल किया गया	65,472	53,804
कुल (क)	77,952	66,284
संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री		
आयोजनों से आय		
वार्षिक समारोह/खेल कार्निवाल से सकल प्राप्तियां	-	-
घटा: वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	-	-
उत्सव से सकल प्राप्तियां	-	-
घटा: उत्सव पर होने वाला प्रत्यक्ष व्यय	-	-
शैक्षिक दौरो के लिए सकल प्राप्तियां	-	-
घटा: दौरो पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	-	-
अन्य (विनिर्दिष्ट और अलग से प्रकट किए जाने के लिए)	-	-
कुल (ख)	-	-
अन्य		
आरटीआई शुल्क	36,796	65,825
आवेदन पत्र की बिक्री (भतह)	-	-
विविध रसीदें (निविदा फॉर्म, बेकार कागज, आदि की बिक्री)	-	432,598
मानित विश्वविद्यालय के लिए प्रसंस्करण शुल्क	34,500,000	-
स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
नि: शुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
संस्थानों, कल्याण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय से अनुदान / दान	-	-
संगठन	-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)	836,346	1,401,741
कुल (ग)	35,373,142	1,900,164
कुल योग (क+ख+ग)	35,451,094	1,966,448

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 14- पूर्व अवधि आय

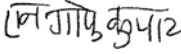
(राशि रुपये में)

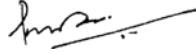
विवरण	2020-2021	2019-2020
1. शैक्षणिक प्राप्तियां	-	-
2. निवेश से आय	-	-
3. अर्जित ब्याज	-	-
4. अन्य आय	-	-
कुल	-	-

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

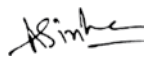
अनुसूची 15- कर्मचारी भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)

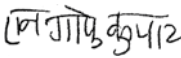
(राशि रुपये में)

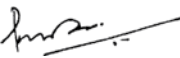
विवरण	2020-2021			2019-2020		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
वेतन और मजदूरी	224,517,356	24,160,759	248,678,115	241,529,894	25,200,195	266,730,089
महंगाई भत्ता	39,075,006	3,902,389	42,977,395	36,771,156	3,594,822	40,365,978
परिवहन भत्ता	19,209,755	1,908,022	21,117,777	19,770,090	1,867,457	21,637,547
मकान किराया भत्ता	40,177,266	4,676,300	44,853,566	42,735,008	4,659,334	47,394,342
बाल शिक्षा भत्ता	5,582,250	346,204	5,928,454	4,153,500	297,291	4,450,791
समयोपरि भत्ता	42,087	-	42,087	79,646	-	79,646
जीपीएफ ग्राहकों को ब्याज सब्सिडी का भुगतान	-	-	-	11,959,418	-	11,959,418
टीए अधिकारी	693,789	403,724	1,097,513	5,678,619	1,292,146	6,970,765
टी ए स्थापना	-	12,056	12,056	10,173	98,152	108,325
प्रतिनियुक्ति भत्ता	54,000	-	54,000	55,973	90,000	145,973
एलटीसी स्थापना	2,285,121	229,599	2,514,720	2,553,268	330	2,553,598
एलटीसी अधिकारी	1,592,278	469,974	2,062,252	1,091,891	244,493	1,336,384
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9,489,874	1,222,431	10,712,305	22,645,742	1,313,620	23,959,362
मानदेय	64,000	-	64,000	1,250,200	544,629	1,794,829
सीजीएचएस को भुगतान किया गया सीजीएचएस अंशदान	5,572,510	-	5,572,510	5,466,811	-	5,466,811
पेंशन और अवकाश वेतन योगदान	543,670	58,340	602,010	4,095,078	308,995	4,404,073
सीपीएफ फंड योगदान	-	-	-	11,280	-	11,280
नई पेंशन योजना	7,499,474	2,144,361	9,643,835	6,647,917	1,757,453	8,405,370
अवकाश नकदीकरण वेतन	197,959,942	189,068	198,149,010	21,729,160	1,097,757	22,826,917
पेंशन- सेवानिवृत्ति पर	4,874,123,817	-	4,874,123,817	313,573,137	-	313,573,137
ग्रेजुटी- सेवानिवृत्ति पर	332,858,527	-	332,858,527	-	-	-
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	9,120,000	-	9,120,000
स्टाइपेंडियम हंगरिकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	1,518,973	-	1,518,973	2,388,790	-	2,388,790
कुल	5,762,859,695	39,723,227	5,802,582,922	753,316,751	42,366,674	795,683,425

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

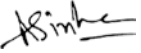
अनुसूची 15- कर्मचारी सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ

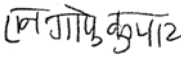
(राशि रुपये में)

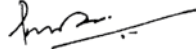
	पेंशन	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	कुल
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष राशि	-	-	-	-
जोड़: अन्य संगठनों से प्राप्त योगदान का पूंजीकृत मूल्य	-	-	-	-
कुल (क)	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)				-
31.03.2021 को उपलब्ध शेष राशि ग=(क-ख)	-	-	-	-
बीमाकिक मूल्यांकन (घ के अनुसार 31.03.2021 को आवश्यक प्रावधान	4,818,665,527	280,012,202	170,338,970	5,269,016,699
क. चालू वर्ष में किए जाने वाले प्रावधान (घ-ग)	4,818,665,527	280,012,202	170,338,970	5,269,016,699
ख. नई पेंशन योजना में योगदान	-	-	-	-
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा	-	-	-	-
ड जमा लिंकड बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (क+ख+ग+घ+ड)	4,818,665,527	280,012,202	170,338,970	5,269,016,699

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

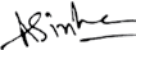
अनुसूची 16- शैक्षणिक व्यय

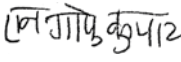
(राशि रुपये में)

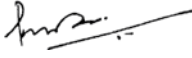
विवरण	2020-2021	2019-2020
a) प्रयोगशाला व्यय	-	-
b) क्षेत्रीय कार्य/सम्मेलनों में भागीदारी	-	-
c) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर व्यय	-	-
d) विजिटिंग संकाय को भुगतान	-	-
e) परीक्षा सीएमएटी और जीपीएटी	-	-
f) छात्र कल्याण व्यय	-	-
g) प्रवेश व्यय	-	-
h) दीक्षांत समारोह व्यय	-	-
i) प्रकाशन	-	-
j) वजीफा/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	-	-
k) सदस्यता व्यय	-	-
l) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 17- प्रशासनिक और सामान्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-2021			2019-2020		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
आधारभूत संरचना						
बिजली और पानी का खर्च	13,768,386	717,815	14,486,201	13,480,562	1,779,333	15,259,895
किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित)	282,740	199,975	482,715	3,925,040	215,272	4,140,312
संचार						
डाक	1,068,899	350,000	1,418,899	2,094,827	948,944	3,043,771
टेलीफोन व्यय	4,395,051	423,781	4,818,832	1,335,400	479,793	1,815,193
अन्य						
मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)	5,858,902	236,311	6,095,213	8,567,134	997,226	9,564,360
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	1,314,286	120,205	1,434,491	514,008	2,088,213	2,602,221
विज्ञापन	864,874	101,150	966,024	1,825,224	26,695	1,851,919
प्रकाशन	1,052,275	-	1,052,275	1,379,427	33,993	1,413,420
पत्रिकाएं और अखबार	673,153	161,553	834,706	1,156,250	29,008	1,185,258
टीए/डीए गैर आधिकारिक	1,960,562	211,383	2,171,945	15,460,734	1,886,995	17,347,729
मानदेय गैर आधिकारिक	1,818,711	-	1,818,711	5,260,976	-	5,260,976
सुरक्षा और सफाई व्यय	17,951,275	-	17,951,275	16,989,805	-	16,989,805
विविध कार्यालय व्यय	18,274,938	1,616,249	19,891,187	9,595,831	5,861,195	15,457,026
मनोरंजन व्यय	1,530,105	257,638	1,787,743	5,470,505	3,173,453	8,643,958
हितकारी निधि	-	-	-	-	58,173	58,173
विधि व्यय	28,411,858	83,806	28,495,664	17,591,348	390,619	17,981,967
रैगिंग रोधी सेल व्यय	13,860,909	-	13,860,909	16,286,572	-	16,286,572
रैगिंग रोधी -अभियान	60,000	-	60,000	1,004,991	-	1,004,991
कूलर का किराया प्रभार	-	-	-	474,600	-	474,600
हाउस कीपिंग व्यय	4,340,969	-	4,340,969	4,683,354	-	4,683,354
पोशाक और वदह	448,364	-	448,364	703,406	-	703,406
अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को वेतन	93,341,753	30,077,657	123,419,410	89,929,790	28,040,844	117,970,634
बैठक और सम्मेलन व्यय	543,523	-	543,523	8,079,299	-	8,079,299
सदस्यों को मानदेय आरओ	-	11,480	11,480	-	636,000	636,000
गैर सदस्यों को मानदेय आरओ	-	229,167	229,167	-	715,300	715,300
सदस्यता और अंशदान	152,500	-	152,500	369,211	-	369,211
प्रशिक्षण (यूजीसी अधिकारी/कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-
व्यावसायिक शुल्क	4,742,224	-	4,742,224	5,772,838	-	5,772,838
संस्थानों को प्रसंस्करण शुल्क वापसी	-	-	-	649,000,000	-	649,000,000
आईटी सहायता शुल्क	-	-	-	4,076,399	-	4,076,399
स्वयं ई-सामग्री	-	-	-	887,314	-	887,314

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 17- प्रशासनिक और सामान्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2020-2021			2019-2020		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
चिकित्सा प्रतिपूर्ति-पूर्व कर्मचारी	24,115,784	-	24,115,784	-	-	-
पेंशन-मासिक	246,508,311	-	246,508,311	-	-	-
उकीरी ई-मोबिलिटी प्रोग्राम	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
ई-सामग्री विकास (स्थापना)	1,221,463	-	1,221,463	-	-	-
कुल	493,561,815	34,798,170	528,359,985	885,914,845	47,361,056	933,275,901

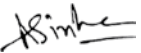
अनुसूची 17- एनएडी और आईओई

(राशि रुपये में)

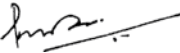
विवरण	2020-2021			2019-2020		
	एनएडी	आईओई	कुल	एनएडी	आईओई	कुल
मानदेय	-	351,120	351,120	3,000	151,040	154,040
टेलीफोन व्यय	72,472	-	72,472	146,309	-	146,309
टीए/डीए गैर आधिकारिक	-	24,400	24,400	1,600	9,441	11,041
विविध कार्यालय व्यय	1,945,524	60,500	2,006,024	1,522,544	241,000	1,763,544
अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को वेतन	3,911,046	2,869,677	6,780,723	5,829,682	1,637,997	7,467,679
बैठक और सम्मेलन व्यय	-	-	-	-	-	-
बैंक शुल्क	-	-	-	-	-	-
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का खर्च	-	-	-	-	-	-
मनोरंजन व्यय	-	-	-	-	33,286	33,286
टीए/डीए कर्मचारियों के लिए	-	-	-	29,920	-	29,920
वार्षिक रखरखाव शुल्क	16,200	-	16,200	-	-	-
कुल	5,945,242	3,305,697	9,250,939	7,533,055	2,072,764	9,605,819
कुल योग			537,610,924			942,881,720

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

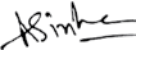
अनुसूची 18- परिवहन व्यय

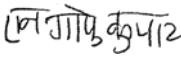
(राशि रुपये में)

विवरण	2020-2021			2019-2020		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
वाहन (संस्था के स्वामित्व वाले)						
चल रहा व्यय	1,960,712	-	1,960,712	2,446,989	-	2,446,989
मरम्मत और रख रखाव	431,003	-	431,003	389,462	-	389,462
बीमा व्यय	63,724	-	63,724	58,233	-	58,233
कार पार्किंग व्यय	-	-	-	-	-	-
वाहन व्यय	86,069	-	86,069	427,181	-	427,181
किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन	-	-	-	-	-	-
किराया/पट्टा व्यय	-	-	-	-	-	-
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का व्यय	2,092,336	40,670	2,133,006	3,055,769	231,148	3,286,917
मोटर कार / मोटर साइकिल रखरखाव	24,925	1,365	26,290	52,937	258,635	311,572
कुल	4,658,769	42,035	4,700,804	6,430,571	489,783	6,920,354

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 19- मरम्मत और रखरखाव

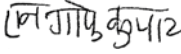
(राशि रुपये में)

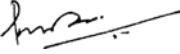
विवरण	2020-2021			2019-2020		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
कार्यालय	9,097,280	99,702	9,196,982	822,980	82,332	905,312
फनहचर तथा फिक्स्चर	179,971	-	179,971	475,626	-	475,626
प्लांट तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-
कंप्यूटर	-	-	-	-	-	-
फोटोकॉपी मशीन	195,025	-	195,025	299,731	-	299,731
श्रव्य दृश्य उपकरण	-	-	-	-	-	-
सफाई सामग्री और सेवाएं	-	-	-	-	-	-
वार्षिक रखरखाव शुल्क	4,815,112	77,961	4,893,073	4,349,715	107,864	4,457,579
बागवानी	-	-	-	-	-	-
एस्टेट रखरखाव	-	-	-	-	-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	14,287,388	177,663	14,465,051	5,948,052	190,196	6,138,248

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपु कुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

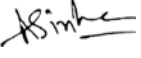
अनुसूची 20- वित्त लागत

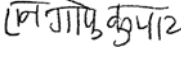
(राशि रुपये में)

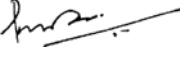
विवरण	2020-2021			2019-2020		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
बैंक शुल्क	7,790	2,909	10,699	6,232	115,095	121,327
बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस	-	-	-	-	-	-
कुल	7,790	2,909	10,699	6,232	115,095	121,327

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

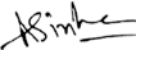
अनुसूची 21- अन्य व्यय

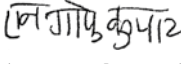
(राशि रुपये में)

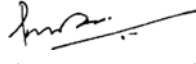
विवरण	2020-2021	2019-2020
क) खराब और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
ख) अपूरणीय शेष बट्टे खाते में डालना	-	-
ग) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/सब्सिडी	-	-
घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

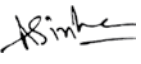
अनुसूची 22- पूर्व अवधि व्यय

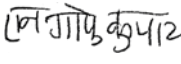
(राशि रुपये में)

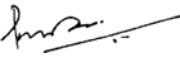
विवरण	2020-2021	2019-2020
आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन	7,680,347	7,584,999
व्यावसायिक शुल्क	525,000	-
लाइसेंस शुल्क	-	-
किराया, दरें और कर	35,512,426	-
मरम्मत और रख रखाव	-	-
विविध कार्यालय व्यय	292,689	808,962
विज्ञापन व्यय	-	414,226
रैगिंग रोधी	1,273,110	3,930,420
मनोरंजन व्यय	342,505	828,266
हाउस कीपिंग व्यय	433,880	806,052
बैठक और सम्मेलन व्यय	374,164	5,500
सुरक्षा और सफाई व्यय	1,566,701	1,471,261
मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)	1,418,472	16,991
वार्षिक रखरखाव शुल्क	909,803	307,879
वाहन व्यय	-	76,544
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का खर्च	792,139	621,060
अन्य खर्चे	-	-
कुल	51,121,236	16,872,160

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैंक बैलेंस 2020-2021

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	बैंकों का नाम	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	केनरा बैंक खाता संख्या 8627101348	यूजीसी-स्थापना और प्रशासन व्यय	92,905,464	210,337,660
2	केनरा बैंक खाता संख्या 862710001130	ई-सामग्री	300,988,209	318,417,813
3	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000402	प्लोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति एससी / एसटी . के लिए	208,773	9,500,365
4	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000403	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ए/सी. के लिए पीजी छात्रवृत्ति व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2,905,520	46,785,205
5	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000404	पीजी छात्रवृत्ति के लिए विश्वविद्यालय रैंक	1,228,431	16,695,121
6	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000762	एमरेटिस फेलोशिप के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक	5,430,548	5,688,319
7	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000763	प्लोस्टडॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति महिलाओं के लिए	2,970,425	12,949,560
8	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000764	पविज्ञान, मानविकी में जेआरएफ और सामाजिक विज्ञान नेट	169,110,996	827,243,836
9	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000820	एडिएस कोठारी पोस्ट डॉक्टरेट अध्येतावृत्ति	3,956,274	46,825,085
10	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000407	एडिंदिरा गांधी पोस्ट एकल बालिका के लिए स्नातक छात्रवृत्ति	1,191,441	11,578,530
11	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000839	प्लुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान अध्येतावृत्ति	1,783,727	25,040,796
12	केनरा बैंक खाता संख्या. 3525101000915	प्लवामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति	1,170,851	33,619,430
13	केनरा बैंक खाता संख्या. 3525101000918	ईशान उदयके लिए विशेष स्कॉलरशिप एन ई आर	38,205,195	653,348,927
14	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000907	डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्टडॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति	646,266	6,138,900
15	केनरा बैंक खाता संख्या 3525101000405	आरजीएनएफ-एससी	259,034,411	452,552,674
16	केनरा बैंक खाता संख्या. 3525101000406	आरजीएनएफ-एसटी	9,913,090	8,850,208
17	केनरा बैंक खाता संख्या. 3525101000880	राष्ट्रीय फेलोशिप ओबीसी	48,846,102	173,169,169
18	केनरा बैंक खाता संख्या. 3525101000181	एम ए एन एफ - अल्पसंख्यक	41,866,425	284,670,514
19	भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या11084241754	यूजीसी पेंशनभोगियों का खाता	-	156,562
20	केनरा बैंक खाता संख्या 015710221093	अक्षय कोष	5,474,783	5,283,819
21	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 05860100022849	सीयू-एनईआर-एससी	52,249,983	47,641,294
22	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 05860100022850	सीयू-एनईआर-एसटी	33,275,447	29,209,623
23	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 05860100022853	सीयू-एनईआर-जनरल	307,345,982	231,898,243

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

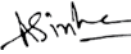
बैंक बैलेंस 2020-2021

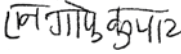
(राशि रुपये में)

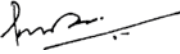
क्रम संख्या	बैंकों का नाम	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
24	बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 306010110003357	सीयू-एसटी	142,747,271	96,834,077
25	बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 603010110003355	सीयू-सामान्य	2,390,203,459	1,542,828,696
26	बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 603010110003356	सीयू-एससी	224,057,442	133,823,229
27	केनरा बैंक खाता संख्या 8627101002051	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो	23,913,036	21,118,980
28	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 3481469799	डीयू-एससी	8,115,408	8,956,084
29	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 3481469846	डीयू-सामान्य	55,008,109	65,163,764
30	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 3481470363	डीयू-एसटी	11,907,458	11,813,959
31	केनरा बैंक खाता संख्या 8627101002122	यूजीसी-सामान्य	1,194,641,184	232,175,752
32	केनरा बैंक खाता संख्या 8627101002123	यूजीसी-एससी	83,620,335	68,426,339
33	केनरा बैंक खाता संख्या 8627101002124	यूजीसी-एसटी	55,963,232	92,804,367
34	केनरा बैंक - 8627101002244	एन ए डी	31,727,203	36,337,397
35	केनरा बैंक 3525101001240	पीजी अनुसूची एमई/एम.टेक/एम.फार्मा से जीटीई/जीपीएटी योग्य उम्मीदवारों के लिए	456,149	7,606,499
36	केनरा बैंक 3525101001241	बीएसआर संकाय फेलोशिप	1,538,950	7,072,598
37	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286126815	एनईआर-सामान्य	459,464,893	666,359,111
38	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286127693	एनईआर-एससी	29,643,181	267,690,970
39	केनरा बैंक खाता संख्या 8627101002314	प्रतिष्ठित संस्थान	552,494,649	548,318,135
40	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286128018	एनईआर-एसटी	9,988,002	55,469,858
41	केनरा बैंक खाता संख्या 8627101002502	रैगिंग रोधी	26,080,059	12,341,506
42	भारतीय रिजर्व बैंक 10671201001		-	-
	कुल योग		6,682,278,364	7,332,742,975

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैंक बैलेंस 2020-2021

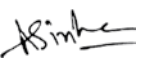
आरओ-खाता

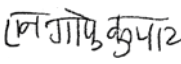
(राशि रुपये में)

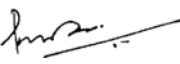
क्रम संख्या	बैंकों का नाम	आरओ का नाम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	केनरा बैंक खाता संख्या. 0606101053069	एसईआरओ -हैदराबाद	10,000	47,652,228
2	केनरा बैंक खाता संख्या 0606101558263	एसईआरओ -हैदराबाद	903,157	2,021,304
3	केनरा बैंक खाता संख्या 0606101560057	एसईआरओ -हैदराबाद	10,000	1,159,849
4	केनरा बैंक खाता संख्या 0606101560058	एसईआरओ -हैदराबाद	10,000	492,630
5	केनरा बैंक खाता संख्या 0262101020153	डब्ल्यूआरओ-पुणे	1,152,618	56,418,129
6	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या यूजीसी-98060100001024	डब्ल्यूआरओ-पुणे	1,383,699	6,869,932
7	केनरा बैंक खाता संख्या 0262101000498	डब्ल्यूआरओ-पुणे	640	5,718,514
8	केनरा बैंक खाता संख्या. 0262101000500	डब्ल्यूआरओ-पुणे	1,258	2,551,850
9	केनरा बैंक खाता संख्या 3122235725	एनईआरओ -गुवाहाटी	-	135,899,631
10	भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या. 33916458208	एनईआरओ -गुवाहाटी	9,702	3,584,234
11	भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 35909765460	एनईआरओ -गुवाहाटी	-	24,043,004
12	भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 35909724423	एनईआरओ -गुवाहाटी	-	6,491,114
13	पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 11625000100953235	ईआरओ -कोलकाता	2,139,649	2,654,403
14	केनरा बैंक खाता संख्या 2549101011380	ईआरओ -कोलकाता	8,239,556	13,550,966
15	केनरा बैंक खाता संख्या 2549101016202	ईआरओ -कोलकाता	10,000	31,449
16	केनरा बैंक खाता संख्या 2549101016203	ईआरओ -कोलकाता	10,000	3,971,856
17	केनरा बैंक खाता संख्या 2549101016204	ईआरओ -कोलकाता	10,000	2,111,432
18	सेंट्रल बैंक अ०फ इंडिया खाता संख्या 1101717823	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	676,305	2,920,819
19	केनरा बैंक खाता संख्या 0431101033961	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	3,812,250	66,432,375
20	केनरा बैंक खाता संख्या. 0431101207736	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	79,903	336,160
21	केनरा बैंक खाता संख्या. 0431101207737	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	4,583	307,311
22	केनरा बैंक खाता संख्या 1471101007601	सीआरओ-भोपाल	1,641,414	3,729,829
23	केनरा बैंक खाता संख्या 1471101007602	सीआरओ-भोपाल	-	97,866,560
24	यूनियन बैंक अ०फ इंडिया खाता संख्या 3371	सीआरओ-भोपाल	-	11,185,782
25	यूनियन बैंक अ०फ इंडिया खाता संख्या 4844	सीआरओ-भोपाल	-	5,255,491
	कुल		20,104,735	503,256,853
	कुल योग		6,702,383,099	7,835,999,829

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विभिन्न संस्थानों के लिए अनुदान सहायता का भुगतान 2020-2021

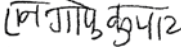
(राशि रुपये में)

लेखा शीर्ष	योजना	मंत्रालयों	राशि
राजस्व पूंजी शीर्ष (1, 2, 3, 4)	रेवेन्यू कैपिटल फंड (UGC H-Q & R-O)	शिक्षा मंत्रालय	125,966,640,273
कुल योग			125,966,640,273

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

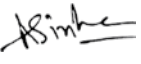
राजस्व पूंजी उपयोग क्षेत्रवार (1-9)

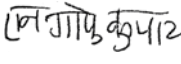
(राशि रुपये में)

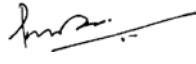
क्षेत्र	विवरण	राशि-31, 35, 36
क्षेत्र - 1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	82,251,500,897
क्षेत्र- 2	मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	4,335,157,821
क्षेत्र - 3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान	39,239,981,555
क्षेत्र - 4	शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट निधि	140,000,000
क	कुल (1, 2, 3, 4)	125,966,640,273
क्षेत्र - 5	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	1,400,681,010
क्षेत्र - 6	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	438,481
क्षेत्र - 7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	993,720,878
क्षेत्र - 9	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	461,298,757
बी	कुल (5, 6, 7, 9)	2,856,139,126
(क+बी)	कुल योग	128,822,779,399

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

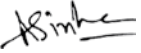
राजस्व पूंजी प्रमुख (सेक्टर 1 से 9)

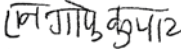
(राशि रुपये में)

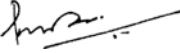
क्षेत्र	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
क्षेत्र - 1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	22,526,888,882	4,238,551,804	55,486,060,211	82,251,500,897
क्षेत्र - 2	मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	764,920,459	-	3,570,237,362	4,335,157,821
क्षेत्र - 3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान	18,313,531,212	543,624,160	20,382,826,183	39,239,981,555
क्षेत्र - 4	शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट निधि	140,000,000	-	-	140,000,000
क्षेत्र - 5	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	1,400,681,010	-	-	1,400,681,010
क्षेत्र - 6	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	438,481	-	-	438,481
क्षेत्र- 7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	993,720,878	-	-	993,720,878
क्षेत्र - 9	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	461,298,757	-	-	461,298,757
	कुल	44,601,479,679	4,782,175,964	79,439,123,756	128,822,779,399

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
क्षेत्र-1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान				
1(A)	केंद्रीय विश्वविद्यालय	16,726,181,491	1,709,465,153	43,604,234,527	62,039,881,171
1(B)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एससी	1,161,324,398	128,355,902	3,053,020,041	4,342,700,341
1(C)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एस टी	593,761,259	56,468,457	1,560,056,542	2,210,286,258
1(D)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एनईआर	2,700,072,784	764,293,314	6,143,328,191	9,607,694,289
1(E)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एन ई आर -एससी	183,198,896	34,089,964	394,893,185	612,182,045
1(F)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एन ई आर -एसटी	87,185,779	17,763,207	200,818,682	305,767,668
1(G)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-सामान्य	957,873,329	43,595,139	469,838,854	1,471,307,322
1(H)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-एससी	69,972,689	2,473,470	34,371,476	106,817,635
1(I)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-एसटी	30,550,490	1,236,094	15,498,713	47,285,297
1(J)	एपी-जनरल का सीयू	11,655,000	22,000,000	8,500,000	42,155,000
1(K)	एपी-एससी . का सीयू	897,000	2,000,000	1,000,000	3,897,000
1(L)	एपी-एसटी . का सीयू	448,000	1,000,000	500,000	1,948,000
1(M)	एपी और तेलंगाना के सीयू। जनजातीय विश्वविद्यालय-सामान्य	3,392,767	14,031,622	-	17,424,389
1(N)	एपी और तेलंगाना के सीयू। जनजातीय विश्वविद्यालय-एससी	225,000	-	-	225,000
1(O)	एपी और तेलंगाना के सीयू। जनजातीय विश्वविद्यालय-एसटी	150,000	-	-	150,000
1(P) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ई डब्ल्यू एस सामान्य	-	654,331,000	-	654,331,000
1(P) (II)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-एससी	-	39,261,000	-	39,261,000
1(P) (III)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-एसटी	-	26,898,000	-	26,898,000
1(Q) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एन ई आर) ईडब्ल्यूएस-जनरल	-	665,119,000	-	665,119,000
1(Q) (II)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एन ई आर) ईडब्ल्यूएस-एससी	-	40,240,482	-	40,240,482
1(Q) (III)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एन ई आर) ईडब्ल्यूएस-एस टी	-	15,930,000	-	15,930,000
	कुल (क)	22,526,888,882	4,238,551,804	55,486,060,211	82,251,500,897
क्षेत्र-2	मानित विश्वविद्यालय के लिए अनुदान				
2(A)	मानित विश्वविद्यालय	704,075,001	-	3,235,358,189	3,939,433,190
2(B)	मानित विश्वविद्यालय-एससी	40,116,292	-	222,879,173	262,995,465
2(C)	मानित विश्वविद्यालय-एसटी	20,729,166	-	112,000,000	132,729,166
	कुल (ख)	764,920,459	-	3,570,237,362	4,335,157,821
क्षेत्र-3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान				
3(A)					
3(A) 1	प्रशासन यूजीसी	-	-	-	-
3(A)(2)	क्षेत्रीय कार्यालय	-	-	-	-
3(A) 3(I)	आईयूसी/एमसी	390,639,655	385,747,179	774,390,558	1,550,777,392
3(A) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	19,316,301	-	301,905,782	321,222,083
3(A) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधाएं केंद्र	11,319,792	-	40,473,593	51,793,385
3(A) 3(V)	विषय थीसिस का चुनाव (शोधगंगा)	-	-	-	-
3(A)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	-	-	-	-
3(A) 5(I)	दिल्ली के महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	2,765,033,051	-	13,783,601,428	16,548,634,479
3(A) 5(II)	बीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	119,381,618	-	814,472,717	933,854,335
3(A) 5(III)	दिल्ली/बीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान के अलावा अन्य	-	-	-	-
3(A)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय को रखरखाव	-	-	2,522,374,000	2,522,374,000

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(A) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	41,381,256	-	41,381,256
3(A) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(A) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
	क्षेत्रीय कार्यालय	1,260,000	2,132,265	-	3,392,265
3(A) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
	क्षेत्रीय कार्यालय	23,040	1,559,440	-	1,582,480
3(A)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(A)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट के लिए कोचिंग	-	-	-	-
3(A)(8)(III)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(A)(8)(IV)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(A)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	4,910,376	-	-	4,910,376
3(A)(8)(VI)	सामाजिक विचारक बनाने वाले युग पर विशेष अध्ययन	4,560,000	456,000	-	5,016,000
3(A)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्र	38,433,852	-	-	38,433,852
3(A)(8)(VIII)	विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं	244,095	-	-	244,095
	क्षेत्रीय कार्यालय	-	-	-	-
3(A)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
	क्षेत्रीय कार्यालय	-	3,947,639	-	3,947,639
3(A)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(A) 9	महिला अध्ययन केंद्र / महिला अध्ययन	10,208,454	-	-	10,208,454
3(A) 10	खेल अवसंरचना विकास और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए उपकरण	-	7,296,000	-	7,296,000
	क्षेत्रीय कार्यालय	-	10,202,800	-	10,202,800
3(A) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3(A) 11(II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	4,316,800	-	-	4,316,800
3(A) 11(III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(A) 12(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	5,314,738	-	-	5,314,738
3(A) 12(II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	68,843	-	-	68,843
3(A) 13	अकादमिक स्टाफ कॉलेज/एचआरडीसी/एचआरवीई	75,354,995	-	-	75,354,995
3(A) 14(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	1,197,342	-	-	1,197,342
3(A) 14(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	1,764,896	-	-	1,764,896
3(A) 14(III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(A) 14(IV)	मानविकी और मानव विज्ञान में उच्च प्रभाव ट्रांस-अनुशासनात्मक अनुसंधान	-	-	-	-
3(A) 16(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	58,025,721	-	-	58,025,721
3(A) 16(II)	एकल कन्या बच्चा के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	133,029,571	-	-	133,029,571
3(A) 16(III)	एमरिटस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	2,711,699	-	-	2,711,699
3(A) 16(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	442,287	-	-	442,287
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	202,047,035	-	-	202,047,035
3(A) 16(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ रिसर्च फेलोशिप रिसर्च अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	268,018	-	-	268,018
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	9,057,290,041	-	-	9,057,290,041
3(A) 16(VI)	डॉ. एस राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	78,235,789	-	-	78,235,789
3(A) 16(VII)	स्वामी विवेकानंद एकल कन्या बच्चा अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	138,923,747	-	-	138,923,747
3(A) 16(VIII)	डॉ. डी.एस. कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	501,556,126	-	-	501,556,126
3(A) 16(IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(A) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	86,061,127	16,000,000	-	102,061,127
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	255,556,557	-	-	255,556,557
3(A) 16(XI)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	-	-	-	-
3(A) 16(XII)	एम.ई./एम.टेक के लिए पीजी छात्रवृत्ति। गेट योग्य छात्रों के लिए	1,207,067	-	-	1,207,067
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	219,241,076	-	-	219,241,076
3(A) 16(XIII)	कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति और विदेशी नागरिकों को आरए	-	-	-	-
3(A) 16(XIV)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान फेलोशिप। मेधावी छात्रों के लिए	-	-	-	-
3(A) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	212,000	-	-	212,000
3(A) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	1,311,935	-	-	1,311,935
	आरओ	-	-	-	-
3(A) 17(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	20,893,630	-	-	20,893,630

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(A) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	1,342,140	-	-	1,342,140
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	661,171	-	-	661,171
3(A) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएं (महाविद्यालय)	-	-	-	-
	आरओ	760,422	-	-	760,422
3(A) 18	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	21,160,984	2,280,000	-	23,440,984
3(A) 18(II)	परामर्श	1,500,000	-	-	1,500,000
3(A) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	840,000	-	-	840,000
3(A) 19(II)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	-	-	-	-
3(A) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-
	आरओ	18,270,159	-	-	18,270,159
3(A) 19(IV)	राजभाषा	-	-	-	-
3(A) 19(V)	यात्रा अनुदान	14,849,140	-	-	14,849,140
3(A) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(A) 19(VII)	पिहेड	-	-	-	-
3(A) 19(VIII)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
	आरओ	21,978,680	-	-	21,978,680
3(A) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(A) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3(A) 19(XI)	कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन (महाविद्यालय)	2,130,448	-	-	2,130,448
	आरओ	-	-	-	-
3(A) 19(XII)	अध्ययन का क्षेत्र	4,016,494	-	-	4,016,494
3(A) 19(XIII)	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए करियर ओरिएंटेशन	-	-	-	-
3(A) 19(XV)	उच्चतर शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-
3(A) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, यूजीसी अधिकारियों के अकादमिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(A) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(A) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्रों की स्थापना	-	-	-	-
3(A) 19(XIX)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष पद की स्थापना	7,694,344	-	-	7,694,344
3(A) 19(XX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(A) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	2,876,321	-	2,876,321
3(A) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(A) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(A) 19(XXIV)	जम्मू-कश्मीर में सात बालिका छात्रावासों का निर्माण-प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015	-	-	-	-
3(A) 19(XXV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	-	760,000	-	760,000
	आरओ	9,502,157	11,020,068	-	20,522,225
3(A) 19(XXVI)	जर्नल/देखभाल योजना	500,000	-	-	500,000
	कुल	14,315,567,413	485,658,968	18,237,218,078	33,038,444,459
3(A)ऑनलाइन योजनाएं		10,646,617,362	-	-	10,646,617,362
3(A)-आरओ		51,794,458	28,862,212	-	80,656,670
	उप योग	14,315,567,413	485,658,968	18,237,218,078	33,038,444,459
3(B)					
3(B) 1	प्रशासन यूजीसी	-	-	-	-
3(B)(2)	क्षेत्रीय कार्यालय	-	-	-	-
3(B) 3(I)	आईयूसी/एमसी	656,250	27,000,000	80,720,504	108,376,754
3(B) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	181,158	-	37,150,563	37,331,721
3(B) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधाएं केंद्र	-	-	1,298,042	1,298,042
3(B) 3(V)	वैकल्पिक थीसिस का विषय (शोधगंगा)	-	-	-	-
3(B)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	-	-	-	-
3(B) 5(I)	दिल्ली के महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	162,647,884	-	1,130,443,000	1,293,090,884
3(B) 5(II)	बीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	4,036,000	-	61,524,000	65,560,000
3(B) 5(III)	दिल्ली/बीएचयू महाविद्यालयों के अलावा अन्य को रखरखाव अनुदान	-	-	-	-
3(B)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय को रखरखाव	-	-	116,745,000	116,745,000
3(B) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
3(B) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(B) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
	आरओ	180,000	448,899	-	628,899
3(B) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
	आरओ	-	-	-	-
3(B)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(B)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेट के लिए कोचिंग	-	-	-	-
3(B)(8)(III)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(B)(8)(IV)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(B)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	950,395	-	-	950,395
3(B)(8)(VI)	सामाजिक विचारक बनाने वाले युग पर विशेष अध्ययन	960,000	96,000	-	1,056,000
3(B)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्र	3,814,634	-	-	3,814,634
3(B)(8)(VIII)	विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं	-	-	-	-
3(B)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
	आरओ	-	831,082	-	831,082
3(B)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(B) 9	महिला अध्ययन केंद्र / महिला अध्ययन	1,012,825	-	-	1,012,825
3(B) 10	खेल अवसरचना विकास और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए उपकरण	-	1,536,000	-	1,536,000
	आरओ	-	884,800	-	884,800
3(B) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3(B) 11(II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	716,800	-	-	716,800
3(B) 11(III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(B) 12(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	-
3(B) 12(II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	-	-	-	-
3(B) 13	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय /एचआरडीसी/एचआरवीई	7,609,161	-	-	7,609,161
3(B) 14(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	-	-	-	-
3(B) 14(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	-	-	-	-
3(B) 14(III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	-	-	-	-
3(B) 16(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(B) 16(II)	इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(B) 16(III)	एमरेटस फेलोशिप (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(B) 16(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(B) 16(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	850,561,000	-	-	850,561,000
3(B) 16(VI)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन प्रसारण (जनरल)	-	-	-	-
3(B) 16(VII)	स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(B) (VIII)	डॉ. डी.एस. कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन प्रसारण (जनरल)	-	-	-	-
3(B) 16(IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	-	-	-	-
	ऑनलाइन प्रसारण (जनरल)	134,309,937	-	-	134,309,937
3(B) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	800,000	-	-	800,000
	ऑनलाइन प्रसारण (जनरल)	-	-	-	-
3(B) 16(XI)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	16,407,861	-	-	16,407,861
3(B) 16(XII)	जीएटीई योग्य छात्रों के लिए एम.ई./एम.टेक के लिए पीजी छात्रवृत्ति।	-	-	-	-
	ऑनलाइन प्रसारण (जनरल)	-	-	-	-
3(B) 16(XIII)	जूनियर रिसर्च फेलोशिप और विदेशी नागरिकों को आरए	-	-	-	-
3(B) 16(XIV)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान फेलोशिप।	-	-	-	-
3(B) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	-	-	-	-
3(B) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	-	-	-	-
3(B) 17(II)	शोध वैज्ञानिक	-	-	-	-
3(B) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	-	-	-	-
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	-	-	-	-
3(B) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएं (महाविद्यालय)	-	-	-	-
	आरओ	107,590	-	-	107,590
3(B) 18	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	1,412,800	480,000	-	1,892,800
3(B) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(B) 19(II)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	-	-	-	-
3(B) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-
	आरओ	3,846,350	-	-	3,846,350
3(B) 19(IV)	राजभाषा	-	-	-	-
3(B) 19(V)	यात्रा अनुदान	815,776	-	-	815,776
3(B) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(B) 19(VII)	पिहेड	-	-	-	-
3(B) 19(VIII)	कॉलेजों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
	आरओ	2,930,418	-	-	2,930,418
3(B) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(B) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(B) 19(XI)	कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन (महाविद्यालयों)	-	-	-	-
	आरओ	-	-	-	-
3(B) 19(XII)	अध्ययन क्षेत्र	-	-	-	-
3(B) 19(XIII)	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए करियर ओरिएंटेशन	-	-	-	-
3(B) 19(XIV)	ई-सामग्री विकास	-	-	-	-
3(B) 19(XV)	उच्च शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-
3(B) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, यूजीसी अधिकारियों के अकादमिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(B) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(B) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्रों की स्थापना	-	-	-	-
3(B) 19(XIX)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष पद की स्थापना	-	-	-	-
3(B) 19(XX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(B) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	-	-	-
3(B) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(B) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	-	-	-	-
3(B) 19(XXIV)	जम्मू-कश्मीर में सात बालिका छात्रावासों का निर्माण-प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015	-	-	-	-
3(B) 19(XXV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	-	990,000	-	990,000
	आरओ	589,544	2,320,014	-	2,909,558
					-
	कुल	1,194,546,383	34,586,795	1,427,881,109	2,657,014,287
3(B)-ऑनलाइन योजनाएं		1,001,278,798	-	-	1,001,278,798
3(B)-आरओ		7,653,902	4,484,795	-	12,138,697
	उप योग	1,194,546,383	34,586,795	1,427,881,109	2,657,014,287
3(C)					
3(C) 1	प्रशासन यूजीसी	-	-	-	-
3(C)(2)	क्षेत्रीय कार्यालय	-	-	-	-
3(C) 3(I)	आईयूसी/एमसी	431,001	12,500,000	55,315,004	68,246,005
3(C) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	19,296	-	13,235,992	13,255,288
3(C) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधाएं केंद्र	-	-	-	-
3(C) 3(V)	वैकल्पिक थीसिस का विषय (शोधगंगा)	-	-	-	-
3(C)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	-	-	-	-
3(C) 5(I)	दिल्ली के महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	75,413,255	-	553,898,000	629,311,255
3(C) 5(II)	बीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	2,016,000	-	40,797,000	42,813,000
3(C) 5(III)	दिल्ली/बीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान के अलावा अन्य	-	-	-	-
3(C)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय को रखरखाव	-	-	54,481,000	54,481,000
3(C) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
3(C) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(C) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	आरओ	-	224,449	-	224,449
3(C) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
	आरओ	11,520	-	-	11,520
3(C)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	-	-	-	-
3(C)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट के लिए कोचिंग	-	-	-	-
3(C)(8)(III)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(C)(8)(IV)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(C)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	475,198	-	-	
3(C)(8)(VI)	सामाजिक विचारक बनाने वाले युग पर विशेष अध्ययन	480,000	48,000	-	528,000
3(C)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्र	3,526,567	-	-	3,526,567
3(C)(8)(VIII)	विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं	23,622	-	-	23,622
3(C)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
	आरओ	-	415,541	-	415,541
3(C)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(C) 9	महिला अध्ययन केंद्र / महिला अध्ययन	872,254	-	-	872,254
3(C) 10	खेल अवसंरचना विकास और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए उपकरण	-	768,000	-	768,000
	आरओ	-	442,400	-	442,400
3(C) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3(C) 11(II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	358,400	-	-	358,400
3(C) 11(III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(C) 12(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	-
3(C) 12(II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप	-	-	-	-
3(C) 13	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय /एचआरडीसी/एचआरवीई	5,815,764	-	-	5,815,764
3(C) 14(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	-	-	-	-
3(C) 14(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	-	-	-	-
3(C) 14(III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	-	-	-	-
3(C) 16(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(II)	इंदिरा गांधी एकल कन्या बालिका पीजी अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(III)	एमरेटस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	478,872,000	-	-	478,872,000
3(C) 16(VI)	डॉ. एस राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(VII)	स्वामी विवेकानंद एकल कन्या बालिका पीजी अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(VIII)	डॉ. डी.एस. कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	39,600,370	-	-	39,600,370
3(C) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(XI)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	1,020,423	-	-	1,020,423
3(C) 16(XII)	एम.ई./एम.टेक के लिए पीजी अध्येतावृत्ति। जीएटीई योग्य छात्रों के लिए	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (जनरल)	-	-	-	-
3(C) 16(XIII)	जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति और विदेशी नागरिकों को आरए	-	-	-	-
3(C) 16(XIV)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति।	-	-	-	-
3(C) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	-	-	-	-
3(C) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	262,541	-	-	262,541
3(C) 17(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	-	-	-	-
3(C) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	-	-	-	-
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	-	-	-	-
3(C) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएं (महाविद्यालय)	-	-	-	-
	आरओ	-	-	-	-
3(C) 18	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	706,400	240,000	-	946,400
3(C) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(C) 19(II)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	-	-	-	-
3(C) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-
	आरओ	1,923,175	-	-	1,923,175
3(C) 19(IV)	राजभाषा	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(C) 19(V)	यात्रा अनुदान	-	-	-	-
3(C) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(C) 19(VII)	पिहेड	-	-	-	-
3(C) 19(VIII)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
	आरओ	390,493	-	-	390,493
3(C) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(C) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3(C) 19(XI)	कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन (महाविद्यालय)	-	-	-	-
	आरओ	-	-	-	-
3(C) 19(XII)	अध्ययन का क्षेत्र	-	-	-	-
3(C) 19(XIII)	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए करियर अभिविन्यास	-	-	-	-
3(C) 19(XIV)	ई-सामग्री विकास	-	-	-	-
3(C) 19(XV)	उच्चतर शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-
3(C) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, यूजीसी अधिकारियों के अकादमिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(C) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(C) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्रों की स्थापना	-	-	-	-
3(C) 19(XIX)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष पद की स्थापना	-	-	-	-
3(C) 19(XX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(C) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	-	-	-
3(C) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(C) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	-	-	-	-
3(C) 19(XXIV)	जम्मू-कश्मीर में सात बालिका छात्रावासों का निर्माण-प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015	-	-	-	-
3(C) 19(XXV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	-	495,000	-	495,000
	आरओ	685,266	1,160,007	-	1,845,273
	कुल	612,903,545	16,293,397	717,726,996	1,346,923,938
3(C)-ऑनलाइन योजनाएं		519,492,793	-	-	519,492,793
3(C)-आरओ		3,010,454	2,242,397	-	5,252,851
	उप योग	612,903,545	16,293,397	717,726,996	1,346,923,938
3(D)	एनईआर के लिए विशेष घटक				
3(D)	यूजीसी (एनईआर) प्रधान कार्यालय	8,960,000	760,000	-	9,720,000
	एन ई आर ओ	1,814,295	4,624,600	-	6,438,895

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

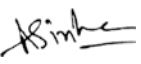
राजस्व पूंजी प्रमुख का विवरण

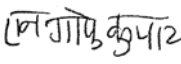
(राशि रुपये में)

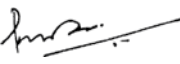
शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	ऑनलाइन	1,834,805,951	-	-	1,834,805,951
	उप योग	1,845,580,246	5,384,600	-	1,850,964,846
3(E)	एनईआर-एससी के लिए विशेष घटक				
3(E)	यूजीसी (एनईआर) एससी प्रधान कार्यालय	1,760,000	160,000	-	1,920,000
	एन ई आर ओ	381,957	973,600	-	1,355,557
	ऑनलाइन	282,754,146	-	-	282,754,146
	उप योग	284,896,103	1,133,600	-	286,029,703
3(F)	एनईआर-एसटी के लिए विशेष घटक				
3(F)	यूजीसी (एनईआर) एसटी प्रधान कार्यालय	880,000	80,000	-	960,000
	एन ई आर ओ	190,978	486,800	-	677,778
	ऑनलाइन	58,966,544	-	-	58,966,544
	उप योग	60,037,522	566,800	-	60,604,322
	कुल योग (ग)	18,313,531,212	543,624,160	20,382,826,183	39,239,981,555
क्षेत्र-4	शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट निधि				
4(I)	सामाजिक आधारभूत संरचना विकास निधि	-	-	-	-
4(II)	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन	-	-	-	-
4(III)	शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत-अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल द्वारा जारी विशिष्ट निधियां	-	-	-	-
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (सामान्य)	108,200,009	-	-	108,200,009
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (एससी)	21,199,994	-	-	21,199,994
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (एसटी)	10,599,997	-	-	10,599,997
	कुल (घ)	140,000,000	-	-	140,000,000
	उप कुल (क, ख, ग एवं घ)	41,745,340,553	4,782,175,964	79,439,123,756	125,966,640,273
क्षेत्र-5	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	1,400,681,010	-	-	1,400,681,010
क्षेत्र-6	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	438,481	-	-	438,481
क्षेत्र-7	मौलाना आजाद अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	993,720,878	-	-	993,720,878
क्षेत्र-9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	461,298,757	-	-	461,298,757
	कुल (ङ)	2,856,139,126	-	-	2,856,139,126
	कुल योग (क -ङ)	44,601,479,679	4,782,175,964	79,439,123,756	128,822,779,399

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सामान्य भविष्य निधि खाता

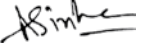
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते

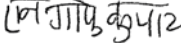
(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2020-2021	2019-2020	भुगतान	2020-2021	2019-2020
प्रारंभिक जमा			जीपीएफ अग्रिम/निकासी	176,696,802	95,972,892
बैंक	27,233,640	9,946,334			
जमा खाता एफडीआर	413,500,000	377,500,000			
सरकारी प्रतिभूतियां	230,340,000	230,340,000			
जीपीएफ सदस्यता	93,665,900	101,388,400			
सीपीएफ सदस्यता			अंतिम शेष		
सीपीएफ सरकारी योगदान			बैंक	8,916,971	27,233,640
उपार्जित ब्याज			सरकार में निवेश प्रतिभूति	230,340,000	230,340,000
प्राप्त ब्याज			जमा खाता एफडीआर	402,400,000	413,500,000
वचत बैंक पर ब्याज	1,038,268	472,034			
एफडीआर पर ब्याज	33,762,072	16,626,453			
सरकार पर ब्याज प्रतिभूतियों	18,813,893	18,813,893			
यूजीसी की स्थापना से प्राप्त ब्याज	-	11,959,418			
सब्सिडी लेखा					
कुल	818,353,773	767,046,532	कुल	818,353,773	767,046,532

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सामान्य भविष्य निधि खाता

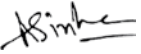
तुलन पत्र 31 मार्च, 2021

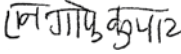
(राशि रुपये में)

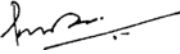
देयताएं	2020-2021	2019-2020	परिसंपत्तियाँ	2020-2021	2019-2020
			निवेश		
प्रारंभिक शेष	671,073,640	616,094,966	सावधि जमा में	402,400,000	413,500,000
घटा: निकासी में समायोजन	-	-	सरकारी प्रतिभूतियों में	230,340,000	230,340,000
जमा: वर्ष में अंशदान	93,665,900	101,388,400	उपार्जित ब्याज	16,597,498	30,299,393
जमा: ब्याज जमा	45,567,114	49,563,166			
घटा: अग्रिम/आहरण	176,696,802	95,972,892			
			रोकड़ शेष		
अंतिम शेष	633,609,852	671,073,640	बैंक शेष	8,916,971	27,233,640
प्रारंभिक शेष	30,299,393	1,691,368		-	-
जमा: व्यय से अधिक आय	-5,654,776	11,679,106		-	-
जमा: प्रारंभिक शेष राशि अर्जित ब्याज	-	16,928,919			
अंतिम शेष	24,644,617	30,299,393		-	-
वर्तमान में दायित्व					
कुल	658,254,469	701,373,033	कुल	658,254,469	701,373,033

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

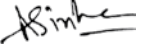
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
सामान्य भविष्य निधि खाता
आय और व्यय खाता 31 मार्च 2021

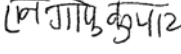
(राशि रुपये में)

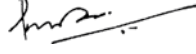
व्यय	2020-2021	2019-2020	आय	2020-2021	2019-2020
ब्याज क्रेडिट किया गया			निवेश पर अर्जित ब्याज	20,060,177	29,996,927
			सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	18,813,893	18,813,893
जीपीएफ खाता	45,567,114	49,563,166	बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,038,268	472,034
सीपीएफ खाता	-	-	यूजीसी स्थापना लेखा से प्राप्त ब्याज अनुवृत्ति		11,959,418
विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)	-	-		-	-
एनपीएस टियर- II खाता	-	-			
व्यय से अधिक आय	-	11,679,106	आय से अधिक व्यय	5,654,776	-
कुल	45,567,114	61,242,272	कुल	45,567,114	61,242,272

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
 अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
 संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
 वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
 सचिव

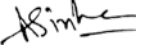
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
एनपीएस खाता
प्राप्तियां और भुगतान खाते 31 मार्च 2021

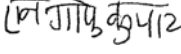
(राशि रुपये में)

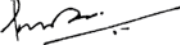
प्राप्तियां	2020-2021	2019-2020	भुगतान	2020-2021	2019-2020
प्रारंभिक जमा			एनएसडीएल को किया गया भुगतान	257,435	14,195,447
बैंक	354,431	21,074			
जमा खाता एफडीआर					
सरकारी प्रतिभूतियां					
एनपीएस सदस्यता	-	14,524,011			
			अंतिम शेष		
			बैंक	113,097	354,431
प्राप्त ब्याज			जमा खाता एफडीआर		
बचत बैंक पर ब्याज	16,101	4,793			
एफडीआर पर ब्याज					
कुल	370,532	14,549,878	कुल	370,532	14,549,878

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

एनपीएस खाता

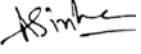
तुलन पत्र 31 मार्च 2021

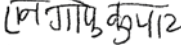
(राशि रुपये में)

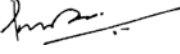
देयताएं	2020-2021	2019-2020	परिसंपत्तियाँ	2020-2021	2019-2020
			निवेश		
प्रारंभिक शेष	328,564	-	सावधि जमा में	-	-
घटा: निकासी में समायोजन	-	-		-	-
जमा: वर्ष में सदस्यता	-	14,524,011			
जमा: ब्याज क्रेडिट					
घटा: एन एस डी एल में स्थानांतरण	257,435	14,195,447			
			रोकड़ शेष		
अंतिम शेष	71,129	328,564	बैंक शेष	113,097	354,431
प्रारंभिक शेष	25,867	21,074		-	-
जमा: व्यय से अधिक आय	16,101	4,793		-	-
अंतिम शेष	41,968	25,867		-	-
कुल	113,097	354,431	कुल	113,097	354,431

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
एनपीएस खाता
आय और व्यय खाता 31 मार्च 2021

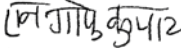
(राशि रुपये में)

व्यय	2020-2021	2019-2020	आय	2020-2021	2019-2020
ब्याज जमा			निवेश पर अर्जित ब्याज		
			सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज		
एनपीएस खाता	-	-	बचत बैंक खाते पर ब्याज	16,101	4,793
सीपीएफ खाता	-	-			
विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)	-	-			
एनपीएस टियर-11 खाता	-	-			
व्यय से अधिक आय	16,101	4,793	आय से अधिक व्यय	-	-
कुल	16,101	4,793	कुल	16,101	4,793

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
 अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
 संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
 वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
 सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 23

सिद्धांत लेखा नीतियां

1. लेखा

- क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर और आम तौर पर लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किए जाते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- ख) अव्ययित अनुदानों की वापसी की सभी प्राप्तियों का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।

2. सहायता अनुदान

अनुदानों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है और पूंजीगत प्रकृति के व्यय की सीमा को छोड़कर आय और व्यय खाते में क्रेडिट में ले लिया जाता है (जो राशि सीधे पूंजी निधि में जमा की जाती है)। कोई भी गैर-मौद्रिक अनुदान मुफ्त में प्राप्त होता है जो नाममात्र राशि रु.1/- पर परिलक्षित होती है।

3. अचल संपत्ति और मूल्यहास

क) अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत घटाकर मूल्यहास पर बताया गया है। बिना प्रतिफल के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त अचल संपत्तियों को वित्तीय विवरण में नाममात्र मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है अर्थात् रु. 1/- निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा विधि पर अचल संपत्तियों पर लगाया गया मूल्यहास: -

क) फर्नीचर व फिक्सचर	7.5%
ख) विद्युत उपकरण	5.0%
ग) कंप्यूटर सहायक उपकरण	20%
ड) पुस्तकालय की किताबें और पत्रिकाएं	10%
च) मोटर गाड़ी	10%
छ) कार्यालय उपकरण	7.5%

ख) वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि के संबंध में, पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास प्रदान किया जाता है और अचल संपत्तियों से कटौती के संबंध में, कोई मूल्यहास नहीं लगाया जाता है।

ग) शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के खातों के प्रारूप में निर्धारित दर के अनुसार मूल्यहास लगाया गया है।

4. सभी जमाओं/निवेशों पर ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

5. कर्मचारी वेतन/लाभ

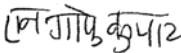
क) केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवा नियम कुल मिलाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

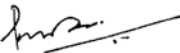
ख) वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए महानिदेशक लेखा परीक्षा (गृह, शिक्षा और कौशल विकास) के कार्यालय से प्रमाणन लेखा परीक्षा में ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के रूप में दिए गए कर्मचारी लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन करने का सुझाव दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान, आयोग ने कर्मचारी लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन किया है। बीमांकिक मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने रुपये 28,00,12,202/- ग्रेच्युटी के लिए, रु. 17,03,38,970/- छुट्टी नकदीकरण के लिए एवं रु. 481,86,65,527/- आय और व्यय खाते में पेंशन के लिए प्रावधान किया है। इस अतिरिक्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आय और व्यय खाते में रुपये 526,90,16,699/- का शुद्ध घाटा हुआ है।

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 24

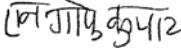
खातों के लिए नोट

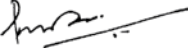
1. संसद द्वारा अनुमोदित बजट के आधार पर सरकार से प्राप्त अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्राप्तियों का मुख्य स्रोत है। यद्यपि प्राप्त अनुदान (पूँजीगत प्रकृति के व्यय के समायोजन के बाद) को आय और व्यय खाते में ले लिया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रभावी आय प्रतिबंधों के आलोक में शून्य है कि सरकार की मंजूरी के बिना, अनुदान की अव्ययित शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार यह किसी भी आयकर देयता को आकर्षित नहीं करता है।
2. जिस भवन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थित है वह भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संपत्ति का पट्टेदार है और इसे 17-06-1960 को शून्य किराए के साथ आवंटित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस इमारत का रखरखाव करता है और इसके संपत्ति कर का भुगतान करता है।
3. अधिशेष निधि अस्थायी रूप से अनुसूची बैंक के पास रखी जाती है। किसी भी समय राशि के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
4. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार भारत सरकार ने आयोग का एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टी एस ए) खोला जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च को खाते में जो भी शेष राशि खर्च नहीं हुई है, वह सरकारी अधिकारियों या फंडिंग एजेंसियों को वापिस कर दी गई है। तदनुसार 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, आयोग के पास रु. 33,91,15,365/- टीएसए खाते में थे जो 31 मार्च के दिन के अंत में स्वचालित रूप से सरकारी खातों में जमा हो गए। अतः उक्त खाते का समापन शेष शून्य हो जाता है।
5. आयोग विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान स्वीकृत करता है। जारी की गई कुल राशि में से रु. 617,71,72,337/- का 31 मार्च 2021 के दिन के अंत में उपयोग नहीं किया गया था। यह अप्रयुक्त शेष राशि सरकारी अधिकारियों या वित्त पोषण एजेंसियों को वापिस कर दी गई है।
6. सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान किया गया कुल अग्रिम रु. 9,35,92,832/- जिसमें वर्ष 2020-2021 के दौरान रु. 38,09,610/- अग्रिम के रूप में, जिसके खिलाफ सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त व्यय विवरण और धनवापसी शून्य है और 31-03-2021 को शुद्ध बकाया राशि रु. 9,35,92,832/- है
7. किए गए और वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए अग्रिमों को संबंधित पार्टी/विभाग से अंतिम बिल/प्राप्ति की पावती पर खाते के अंतिम शीर्ष में समायोजित/वसूली किया जाता है।
8. अन्य
क) वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए प्राप्तियों और भुगतानों सहित खातों और अनुसूची के वित्तीय विवरणों में जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के लिए इसी आंकड़े को पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
ख) वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को निकटतम भारतीय रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

स्थान :

दिनांक :


(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

1. आकस्मिक देयताएं

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राशि के खिलाफ अदालत और अन्य मामलों के संबंध में देनदारियों का पता नहीं लगाया जा सकता है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

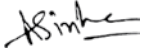
क) संगठन की पूंजी प्रतिबद्धता- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र की अनुसूची के अनुसार पूंजी कॉर्पस फंड में दिखाया गया है।

3. चालू संपत्ति और अग्रिम

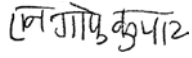
क) चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का गतिविधियों के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य होता है, जो कम से कम वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

स्थान :

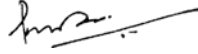
दिनांक :



(अरुण कुमार सिन्हा)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
Office of the Director General of Audit (Home, Education and Skill Development)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली 110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

ए.एम.जी-1/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-38/2021-22/

दिनांक: 23.12.2021

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
शिक्षा मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2020-21 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
महोदया/महोदय,

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दशति हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

संलग्नक: यथोपरि

भवदीया

हस्ता -

निदेशक (ए.एम.जी-1)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 9, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दशति हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि


निदेशक (ए.एम.जी-1)

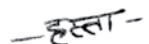
ए.एम.जी-1/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-38/2021-22/

दिनांक: 23.12.2021

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरी


निदेशक (ए.एम.जी-1)

‘प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और उसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों की 31 मार्च 2021 को संलग्न बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाते की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 (3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छह क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते शामिल हैं। इनमें से तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा की गई है और इस रिपोर्ट के लिए टिप्पणियों पर विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

2. इस अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर शामिल किया गया है। कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हो, को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियां और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ii इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को मोटे तौर पर भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii हमारी राय में, यूजीसी और उसके आठ इंटर-यूनिवर्सिटी केंद्रों द्वारा खातों की उचित पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जहां तक यह ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

भाग- ए

ए बैलेंस शीट

ए.1 देयताएं

ए .1.1 ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8) - 15.94 करोड़ रुपये

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ई-गवर्नेंस के विकास और प्रबंधन की परियोजना के लिए 2019-20 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इनफ्लिबनेट को 1.22 करोड़ रुपये जो उपरोक्त में अग्रिम शामिल हैं, दिए गए। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इनफ्लिबनेट द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, रु. 1.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं (2019-20: 55.08 लाख रुपये और 2020-21: 59.78 लाख रुपये) 14.58 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि को छोड़कर (2019-20 के दौरान अर्जित 7.48 लाख रुपये की ब्याज आय सहित)।

खर्च पर आये 1.15 करोड़ रुपये के व्यय को वर्क-इन-प्रोग्रेस को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों को अधिक बताया गया है और अचल संपत्तियों-कार्य-प्रगति को रु. 1.15 करोड़ कम बताया गया है।

(ii) एमटीएनएल को 1.4.2019 से 31.3.2020 तक की अवधि के लिए लीज लाइन कनेक्टिविटी सेवाओं के लिए अग्रिम किराया भुगतान के रूप में रु. 25.84 लाख उपरोक्त में से दिए गए। चूंकि समायोजन बिल एमटीएनएल द्वारा प्रदान किए गए थे, उन्हें व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा का अधिक विवरण और व्यय रु. 25.84.लाख कम बताया गया।

(iii) बैंक द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के बचत बैंक खाते से 1.15 लाख रुपये के टीडीएस की कटौती की गई। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है, इसे इस अनुसूची में प्राप्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा और पूंजीगत निधि में रु. 1.15 लाख रुपये की कमी आई है।

बी. सामान्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पहली बार जीपीएफ खाते निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए थे। खातों में जिस तरह से 2.46 करोड़ रुपये का ब्याज आरक्षित है, उसमें 2018-19 से पहले के वर्षों के अधिशेष/घाटे को शामिल नहीं किया गया है। इसका खुलासा खातों की टिप्पणियों में किया जाना चाहिए था। 2018-19 से इस ओर इशारा किया जा रहा है लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

सी. सहायता अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान खातों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 13135.13 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। (मार्च 2021 के महीने में प्राप्त 1427.31 करोड़ रुपये), में 524.18 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि, अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं से रिफंड 194.8 करोड़ रुपये और आय 30.26 करोड़ रुपये थी। कुल कोष 13884.37 करोड़ में से रु. 651.63 करोड़ व्ययगत हो चुके थे और शिक्षा मंत्रालय को रु. 54.27 करोड़ वापस किए गए। इसने 31 मार्च 2021 को रु. 12711.25 करोड़ का उपयोग किया और 467.22 करोड़ रु. की अव्ययित राशि छोड़ दी।

2020-21 के दौरान, इसे निम्नलिखित मंत्रालयों से सहायता अनुदान भी प्राप्त हुआ:

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 119 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए सहायता राशि प्राप्त हुई एवं 45.26 करोड़ रुपये शुरुआती शेष राशि थी। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में 1.72 करोड़ रुपये भी मिले। 165.98 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने 140.07 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 31 मार्च 2021 को 25.91 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि छोड़ दी।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 33 करोड़ रुपये (मार्च 2021 के महीने में प्राप्त 15 करोड़ रुपये) की सहायता अनुदान प्राप्त हुई और 17.32 करोड़ रुपये की शुरुआती शेष राशि थी। बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में 0.7 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए।

51.02 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने रु.46.13 करोड़ का उपयोग किया और 31 मार्च 2021 को 4.89 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि को छोड़कर।

(ग) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से अल्पसंख्यक मामलों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 73.50 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान (मार्च 2021 के महीने में प्राप्त 15 करोड़ रुपये) और 28.47 करोड़ रुपये की शुरुआती शेष राशि थी। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹1.59 करोड़ भी मिले। 103.56 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से, इसने 31 मार्च 2021 को 4.19 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष को छोड़कर 99.37 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

(घ) हालांकि यूजीसी को जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास रुपये 0.89 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में 0.15 करोड़ रुपये भी मिले। 1.04 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने रु.0.04 करोड़ का उपयोग किया और 31 मार्च 2021 तक शेष रु.1.00 करोड़ अव्ययित शेष के रूप में बचे रहे।

भाग- बी

अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (सीसीसी) के अंतर्गत नौ अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की स्थापना की थी, अर्थात्, अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) नई दिल्ली, शैक्षिक संचार के लिए संघ (सीईसी) नई दिल्ली, अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र (आईयूसीएए), पुणे सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (आई एन एफ एल आई बी एन ई टी) गांधीनगर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एन ए ए सी) बेंगलुरु, यू जी सी -डी ए ई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सी एस आर), इंदौर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर शिक्षक शिक्षा के लिए (आईयूसीटीई) बीएचयू, वाराणसी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन टीचर एजुकेशन, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय, हैदराबाद (काकीनाडा) और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु। इन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन टीचर एजुकेशन में से जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय, हैदराबाद ने काम करना शुरू नहीं किया था। वर्ष 2020-21 के लिए शेष आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के खातों का प्रमाणन ऑडिट वर्ष 2020-21 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमाणन ऑडिट के साथ-साथ सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत किया गया था। इन केंद्रों के खातों पर टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:-

1. अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली

ए. सामान्य

ए .1 वर्ष 2020-21 के दौरान, कर्मचारी सदस्यता रु. 4519980 और नियोक्ता योगदान रु.6651032 एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस फंड मैनेजर के पास जमा नहीं किया गया है। आईयूएसी द्वारा एनपीएस खाते तैयार नहीं किए गए हैं और मुख्य खातों के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप का उल्लंघन है।

ए.2 प्रायोजित परियोजना (अनुसूची 2ए)- रु. 34.59 करोड़

परियोजना: पी1-आईएमआईआर/समीर/टीएसडी: रुपये 1.56 करोड़ के व्यय के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका।

बी. सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र को 62.75 करोड़ रुपये (पूँजी: 6.40 करोड़ रुपये और राजस्व 56.35 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान मिला। इसका शुरुआती बैलेंस 11.68 करोड़ रुपये था (पूँजी: 11.68 करोड़ रुपये और राजस्व: शून्य)। कुल उपलब्ध धनराशि रु. 74.43 करोड़ में से, इसने रु.60.15 करोड़ (पूँजी: 10.09 करोड़ रुपये और राजस्व: 50.06 करोड़ रुपये) का उपयोग किया। 31 मार्च 2021 तक 14.27 करोड़ रुपये(पूँजी: 7.99 करोड़ रुपये और राजस्व: 6.28 करोड़ रुपये) के अव्ययित शेष को छोड़कर।

2. शैक्षिक संचार के लिए संघ (सीईसी), नई दिल्ली

ए बैलेंस शीट

ए.1 संपत्ति

ए.1.1 ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची-8) - रु.60.12 करोड़

(i) उपरोक्त में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पिछले वर्षों के लिए कर्मचारी सेवानिवृत्ति अर्जित लाभ रु. 19.30 करोड़ शामिल हैं, और चालू वर्ष के लिए 1.04 करोड़ रुपये की राशि है लेकिन इस राशि का न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दावा किया गया है और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई मंजूरी दी गई है। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा और पूँजी निधि में रु. 20.34 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ii) उपरोक्त में 1.81 करोड़ रुपये के अग्रिम और 3.75 लाख रुपये 2010-11 और 2006-07 से क्रमशः एनआईसीएसआई और ईएमएमआरसी, असम विश्वविद्यालय के विरुद्ध शामिल हैं। अग्रिमों के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों को अधिक बताया गया है और व्यय/वापसी को 1.85 करोड़ रुपये से कम बताया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए एसएआर में भी इसका उल्लेख किया गया था।

बी. सामान्य

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में भविष्य निधि की बैलेंस शीट तैयार नहीं की गई है। प्रारूप के अनुसार ग्राहक की देनदारियों और ब्याज अधिशेष / घाटे का अलग से खुलासा किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए एसएआर में भी इसका उल्लेख किया गया था।

सी. सहायता अनुदान

वर्ष 2020-21 के दौरान, सीईसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /एमएचआरडी से 14.86 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पास रु. 63.36 करोड़ रुपये प्रारंभिक जमा के थे। इसे वर्ष के दौरान 1.12 करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। 79.34 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से, इसने रु 14.89 करोड़ का उपयोग किया। 31 मार्च 2021 को 64.45 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि छोड़कर।

3. शिक्षक शिक्षा के लिए अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, वाराणसी

ए. सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, इस केंद्र ने 30.59 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्राप्त किया और 22.58 लाख रुपये का ब्याज प्राप्त किया। इसमें 1 अप्रैल 2020 तक 5.74 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस था। कुल उपलब्ध निधि 36.55 करोड़ रुपये में से इस केंद्र ने रु.33.93 करोड़ रुपये का उपयोग किया। 31 मार्च 2021 तक 2.62 करोड़ की शेष राशि को छोड़कर।

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इन्फ्लबनेट), गांधीनगर

ए. सामान्य

महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार संख्या 6 मूल्यहास विधि (लिखित मूल्य पद्धति) और इसकी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर लगाया जाता है। यह लेखा नीति शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित

खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो उसमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास वसूलने का प्रावधान करती है।

बी. अनुदान सहायता:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्र को 7.34 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और 1 अप्रैल 2020 तक 6.47 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष सहायता अनुदान था। उपलब्ध धनराशि रु. 13.81 करोड़ में से, केंद्र ने 12.56 करोड़ रुपये का उपयोग किया, 1.25 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त अनुदान को 31 मार्च 2021 तक छोड़ दिया।

5. अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र (आईयूसीएए), पुणे

ए बैलेंस शीट

ए.1 संपत्ति

ए.1.1 अचल संपत्ति (अनुसूची 7 और 11 ए) -71.23 करोड़ रुपये

महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3.1 के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दी गई दरों के अनुसार मूल्यहास को लिखित मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। यह लेखा नीति शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास चार्ज उसमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार करने का प्रावधान करती है।

बी. सामान्य

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर खातों में उपदान और अवकाश नकदीकरण किया जाना है।

आई यू सी ए ए ने वर्ष के दौरान रु.1.16 करोड़ (ग्रेच्युटी रु. 0.49 करोड़ और अवकाश नकदीकरण रु.0.67 करोड़) के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान किया और कुल प्रावधान रु.14.48 करोड़ (ग्रेच्युटी: रु. 6.78 करोड़ रुपये अवकाश नकदीकरण: रु. 7.70 करोड़) को चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है लेकिन यह प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं है। आई यू सी ए ए, पुणे ने आस्थगित आय के अंतर्गत एक समान राशि दिखाई है।

केंद्र ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप में निर्धारित अनुसूची 15ए भी तैयार नहीं की है।

सी. सहायता अनुदान

आईयूसीए को वर्ष के दौरान 50.18 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई और वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित यूसी के अनुसार 13.72 करोड़ रुपये के अनुदान की अप्रयुक्त अग्रेषित शेष राशि है। इससे वर्ष के दौरान 0.58 करोड़ रुपये की आंतरिक आय हुई। कुल उपलब्ध धनराशि रु. 64.48 करोड़ में से इसने रु. 43.06 करोड़ का उपयोग किया और 41.5 लाख रुपये का अनुदान को वापिस कर दिया। 31 मार्च 2021 तक 21.01 करोड़ रुपये अप्रयुक्त सहायता अनुदान को छोड़कर।

6. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरु

ए आय और व्यय

ए.1 आय

ए.1.1 प्राप्त अनुदान (अनुसूची 8) - रु. 8.48 करोड़

उपरोक्त में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से प्राप्त 32.44 लाख रुपये का संपूर्ण अनुदान शामिल है जबकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए 5.04 लाख रुपये इस अनुसूची के अंतर्गत दिखाए जाने चाहिए थे और शेष राशि रु. 27.40 लाख वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया है - पूंजीगत निधि के परिणामी अतिकथन के साथ प्राप्त अनुदान और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को 27.40 लाख रुपये से कम करके दिखाया गया है।

बी. खातों के लिए नोट्स

लेखा संख्या 6 की टिप्पणियों के अनुसार, कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण और उपदान का लेखा नकद आधार पर किया जाता है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। खातों के लिए यह नोट शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो यह निर्धारित

करता है कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर खातों में सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

सी. सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनएएसी को 8.15 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ (जिसमें से वेतन के लिए अनुदान 811.55 लाख रुपये और रखरखाव के लिए 3.69 लाख रुपये था) जिसका पूरी तरह से उपयोग किया गया था।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, इंदौर

ए बैलेंस शीट

ए.1 निधियों के स्रोत

ए.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-3)- रु. 30.78 करोड़

उपरोक्त में 198.08 करोड़ रुपये के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, इस आधार पर कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त प्रावधानों के लिए रु.197.74 करोड़ रुपये को उपरोक्त अनुसूची में “अन्य निधि-आवर्ती अनुदान सामान्य निधि खाता” मद की व्यवस्था की गई है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को 197.74 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

ए.2 निधियों का अनुप्रयोग

ए.2.1 ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 7) - रु. 2.05 करोड़

इसमें परियोजना प्रभारी से प्राप्त होने वाली 14.87 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा और पूंजीगत निधि को 14.87 लाख रुपये से कम बताया गया।

बी. खातों पर नोट्स

इसमें इस तथ्य के बारे में खुलासा शामिल नहीं है कि जिस भूमि पर कंसोर्टियम का भवन बना है, उसका स्वामित्व देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के पास है।

सी सामान्य

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए ₹19.57 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि एबी के एनपीएस कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी लागू होने के बावजूद सरकार के पास विचाराधीन (अर्थात लंबित) है। इसके अलावा, इस तथ्य का खुलासा नोट टू अकाउंट्स में नहीं किया गया है।

डी. सहायता अनुदान

वर्ष 2020-21 के दौरान यूजीसी, डीईई, कंसोर्टियम को 24.43 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसके अलावा, संस्थान के पास रु. 28.61 करोड़ का अव्ययित शेष था। {(पिछले वर्ष के 27.04 करोड़ रुपये के अंतिम शेष को शुद्ध ब्याज और 1.57 करोड़ रुपये की विविध प्राप्तियों को जोड़कर अद्यतन किया गया है। 2.48 करोड़ रुपये - 0.91 करोड़ रुपये (यूजीसी को वापस))। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 53.04 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध धनराशि में से 41.62 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था, 11.42 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया था।

8. इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस), बंगलुरु

ए बैलेंस शीट

ए.1. देयताएं

ए.1.1 वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 2)- रु.-शून्य

(i) उपरोक्त में रुपये 55.70 लाख की अप्रयुक्त सहायता अनुदान शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को रु 55.70 लाख से अधिक बताया गया।

(ii) सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान पर सभी ब्याज या अन्य आय अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। IUCYS ने रु 2.60 लाख का ब्याज यूजीसी से प्राप्त सहायता अनुदान पर अर्जित किया। (2019-20: 0.25 लाख रुपये और 2020-21: 2.35 लाख रुपये) जो न तो यूजीसी को वापस किया गया था और न ही इसके लिए देयता बनाई गई थी। इसके बजाय इसे खातों में आय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को रुपये 2.60 लाख से अधिक बताया गया है।

बी. आय और व्यय खाता:

बी.1 आय

बी.1.1 अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची 6)- रु. शून्य

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान को उपरोक्त अनुसूची के तहत दिखाया जाना है। हालांकि, आईयूसीवाईएस ने उपरोक्त अनुसूची में 26.17 लाख रुपये के राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान का खुलासा नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अनुदान/सब्सिडी और आय को रु 26.17 लाख कम बताया गया ।

सी सामान्य

1 अप्रैल, 2013 से यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थान को लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करना है, लेकिन आईयूसीवाईएस ने खातों के नकद आधार का पालन किया है।

डी. अनुदान सहायता

आईयूसीवाईएस को 2020-21 के दौरान कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, इसमें 82.12 लाख रुपये (81.87 लाख रुपये + 0.25 लाख रुपये ब्याज वित्त वर्ष 2019-20) की शुरुआती शेष राशि थी। 2020-21 के दौरान रुपये 2.35 लाख की ब्याज आय अर्जित की । कुल कोष रु. 84.47 लाख में से, इसने रु.26.17 लाख का उपयोग किया और रु. 58.30 लाख 31 मार्च 2021 तक अव्ययित राशि है ।

प्रबंधन पत्र : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियों को अलग से जारी एक पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान के ध्यान में लाया गया है।

v पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vi हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और खातों की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए

महत्वपूर्ण मामलों और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है:

ए। जहां तक यह 31 मार्च 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली और इसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है; तथा

बी। जहां तक वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी-डीएई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर, इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस) बेंगलुरु के संबंध में घाटे के आय और व्यय खाते से संबंधित हैं, इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूसी), नई दिल्ली, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशंस (सीईसी), नई दिल्ली इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनाॅमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) पुणे, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन के मामले में अधिशेष परिषद (एनएसी), बेंगलुरु उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(गृह, शिक्षा और कौशल विकास)

जगह: नई दिल्ली

दिनांक:

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक ।

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- यूजीसी के क्षेत्रीय केंद्रों और अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा यूजीसी की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा की जाती है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी इकाई (8 आईयूसी और 6 आरओ) का आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

यूजीसी के आंतरिक नियंत्रण को इस प्रकार मजबूत करने की आवश्यकता है:

2012-13 और 2013-14 में 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को शिक्षा स्कूलों की स्थापना के लिए 130 करोड़ रुपये जारी किए गए में से, रुपये 80.11 करोड़ केवल दिसंबर 2018 तक उपयोग किया गया था, स्कूलों की स्थापना के बाद इन सीयू के साथ रु 60.11 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया। सीयू ने न तो यूसी प्रस्तुत किए हैं और न ही रु 60.11 करोड़ की अव्ययित राशि यूजीसी को वापस की है। यह यूजीसी द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी को दर्शाता है।

- उपयोग प्रमाण पत्र रु.560.64 करोड़ और रु. 385 करोड़ क्रमशः 2018-19 और 2019-20 के दौरान पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए 42 सीयू को जारी किए गए, मार्च 2021 तक लंबित थे।
- उपयोगिता प्रमाणपत्र रु.136.43 करोड़ 162 राज्यों के विश्वविद्यालयों में से 117 को जारी, मार्च 2021 तक बकाया थे।
- 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 105 बाह्य लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।
- 2008 से यूजीसी की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं करना।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- यूजीसी (मुख्यालय) के फर्नीचर और फिक्स्चर और कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण का भौतिक सत्यापन दिसंबर 2008 तक किया गया था और तब से आज तक कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

- यूजीसी के आरओ की अचल संपत्तियों से संबंधित भौतिक सत्यापन 31.03.2021 तक किया गया था।
- आईयूसी की अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:

सीरीयल नम्बर	IUC का नाम	PV वर्ष तक किया गया
1	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली	2020-21
2.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर यूनिवर्सिटी, वाराणसी	2019-20
3.	शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम, नई दिल्ली	2018-19
4.	सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर	2020-21
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे	2020-21
6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु	वर्ष 2020-21 के लिए आयोजित नहीं किया गया
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, इंदौर	2020-21
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई अचल संपत्ति नहीं

4. माल के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- यूजीसी (मुख्यालय) के उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन 2020-21 तक किया गया था।
- यूजीसी के आरओ की स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्रियों से संबंधित भौतिक सत्यापन 31.03.2021 तक किया गया था।
- आईयूसी की सूची के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:-

सीरीयल नम्बर	IUC का नाम	PV वर्ष तक किया गया
1	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली	2020-21
2.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर यूनिवर्सिटी, वाराणसी	2019-20
3.	शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम, नई दिल्ली	2018-19
4.	सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर	2020-21
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे	कोई इन्वेंट्री नहीं रखता है

6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु	जानकारी नहीं दी गई
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीईई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, इंदौर	2020-21
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	स्थापना के बाद से नहीं किया गया (2019-20)

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

- खातों के अनुसार यूजीसी के संबंध में 31.03.2020 को सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीईई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, इंदौर के संबंध में 31.03.2021 तक 3.73 लाख रुपये का वैधानिक बकाया था।



सत्यमेव जयते

University Grants Commission

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002

Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phone : 011-23604448, 011-23604326



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की टिप्पणियां

भाग- एक

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा ज्ञापन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उत्तर
ए ए. 1 ए.1.1	बैलेंस शीट देयताएं ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8)- रु.15.94 करोड़ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ईगवर्नेंस के - विकास और प्रबंधन की परियोजना के लिए 2019-20 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इनफिलबनेट को 1.22 करोड़ रुपये जो उपरोक्त में अग्रिम शामिल हैं, दिए गए। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इनफिलबनेट द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, रु. 1.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं (2019-20: 55.08 लाख रुपये और 2020-21: 59.78 लाख रुपये) 14.58 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि को छोड़कर (2019-20 के दौरान अर्जित 7.48 लाख रुपये की ब्याज आय सहित)। खर्च पर आये 1.15 करोड़ रुपये के व्यय को वर्क-इन-प्रोग्रेस को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमा राशियों को अधिक बताया गया है और अचल संपत्तियों-कार्य-प्रगति को रु. 1.15 करोड़ कम बताया गया है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।

प्रतिगोप्य कुपा 12

(ii)	एमटीएनएल को 1.4.2019 से 31.3.2020 तक की अवधि के लिए लीज लाइन कनेक्टिविटी सेवाओं के लिए अग्रिम किराया भुगतान के रूप में रु . 25.84 लाख उपरोक्त में से दिए गए। चूंकि समायोजन बिल एमटीएनएल द्वारा प्रदान किए गए थे, उन्हें व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा का अधिक विवरण और व्यय रु 25.84. लाख कम बताया गया।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
(iii)	बैंक द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के बचत बैंक खाते से 1.15 लाख रुपये के टीडीएस की कटौती की गई। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है, इसे इस अनुसूची में प्राप्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा और पूंजीगत निधि में रु. 1.15 लाख रुपये की कमी आई है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
बी.	सामान्य वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पहली बार जीपीएफ खाते निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए थे। खातों में जिस तरह से 2.46 करोड़ रुपये का ब्याज आरक्षित है, उसमें 2018-19 से पहले के वर्षों के अधिशेष/घाटे को शामिल नहीं किया गया है। इसका खुलासा खातों की टिप्पणियों में किया जाना चाहिए था। 2018-19 से इस ओर इशारा किया जा रहा है लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
सी.	सहायता अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान खातों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 13135.13 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। (मार्च 2021 माह में प्राप्त	आंकड़े हमारे रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।

निगोपे कुपा 2

	रु.1427.31 करोड़), 524.18 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष था, अनुदानग्राही संस्थानों से 194.8 करोड़ रुपये की वापसी और 30.26 करोड़ रुपये की आय। कुल कोष रु. 13884.37 करोड़ में से, रु. 651.63 करोड़ व्यपगत हो चुके थे और रु. 54.27 करोड़ शिक्षा मंत्रालय को वापस किए गए, इसने 31 मार्च 2021 को रु. 12711.25 करोड़ का उपयोग किया और 467.22 करोड़ रु. की अव्ययित राशि छोड़ दी।	
(क)	2020-21 के दौरान, इसे निम्नलिखित मंत्रालयों से सहायता अनुदान भी प्राप्त हुआ: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 119 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए सहायता राशि प्राप्त हुई एवं 45.26 करोड़ रुपये शुरुआती शेष राशि थी। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में 1.72 करोड़ रुपये भी मिले। 165.98 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने 140.07 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 31 मार्च 2021 को 25.91 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि छोड़ दी।	आंकड़े हमारे रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।
(ख)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 33 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान (मार्च 2021 माह में प्राप्त रु.15 करोड़) और 17.32 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस था। 0.7 करोड़ रुपये बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में भी मिले। 51.02 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने 46.13 करोड़ रु. का उपयोग किया। 31 मार्च 2021 को 4.89 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि।	आंकड़े हमारे रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।
(ग)	अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से अल्पसंख्यक मामलों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 73.50 करोड़ रुपये की	आंकड़े हमारे रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।

निर्माण कुपा 12

	सहायता अनुदान (मार्च 2021 माह में प्राप्त रु.15 करोड़) और 28.47 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस था। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹1.59 करोड़ भी मिले। 103.56 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने 31 मार्च 2021 को 99.37 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 4.19 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी	
(घ)	हालांकि यूजीसी को जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास रुपये 0.89 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में 0.15 करोड़ रुपये भी मिले। 1.04 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने रु.0.04 करोड़ का उपयोग किया और 31 मार्च 2021 तक शेष रु.1.00 करोड़ अव्ययित शेष के रूप में बचे रहे।	आंकड़े हमारे रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।

भागबी - अंतरविश्वविद्यालय केंद्र-

1. अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा ज्ञापन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उत्तर
ए. ए.1	सामान्य वर्ष 2020-21 के दौरान, कर्मचारी सदस्यता रु . 4519980 और नियोक्ता योगदान रु.6651032 एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस फंड मैनेजर के पास जमा नहीं किया गया है। आईयूएसी द्वारा एनपीएस खाते तैयार नहीं किए गए हैं और मुख्य खातों के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप का उल्लंघन है।	एनएसडीएल के पास जमा की गई राशि में एनपीएस में केंद्र का योगदान शामिल है। इसे स्थापना व्यय में जोड़ा जाता है। हमने सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरा करने के लिए अपने ईआरपी को अपडेट किया है।
ए.2	प्रायोजित परियोजना अनुसूची)2ए-(रु .34.59 करोड़ परियोजनापी :1-आईएमआईआर :टीएसडी/समीर/ 1.56 रुपये करोड़ के व्यय के लिए कोई	एक लेखा परीक्षक द्वारा एनआरआई परियोजना के खातों की पुस्तकों की लेखापरीक्षा के लिए की गई कार्रवाई और

निगोपु कुपा 12

	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस परियोजना सत्यापन नहीं के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय का किया जा सका।	लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीएजी को भेजी जाएगी।
बी.	सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र को 62.75 करोड़ रुपये (पूँजी: 6.40 करोड़ रुपये और राजस्व 56.35 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान मिला। इसका शुरुआती बैलेंस 11.68 करोड़ रुपये था (पूँजी: 11.68 करोड़ रुपये और राजस्व: शून्य)। कुल उपलब्ध धनराशि रु. 74.43 करोड़ में से, इसने रु.60.15 करोड़ (पूँजी: 10.09 करोड़ रुपये और राजस्व: 50.06 करोड़ रुपये) का उपयोग किया। 31 मार्च 2021 तक 14.27 करोड़ रुपये(पूँजी: 7.99 करोड़ रुपये और राजस्व: 6.28 करोड़ रुपये) के अव्ययित शेष को छोड़कर।	नोट किया गया।

2. शैक्षिक संचार के लिए संघ (सीईसी), नई दिल्ली

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा ज्ञापन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उत्तर
ए ए.1 ए.1.1	बैलेंस शीट संपत्ति ऋण, अग्रिम और जमा -अनुसूची)8) - रु.60.12 करोड़	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
(i)	उपरोक्त में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पिछले वर्षों के लिए कर्मचारी सेवानिवृत्ति अर्जित लाभ रु .19.30 करोड़ शामिल हैं, और चालू वर्ष के लिए 1.04 करोड़ रुपये की राशि है लेकिन इस राशि का न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दावा किया गया है और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई मंजूरी दी गई है। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा और पूंजी निधि में रु 20.34 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।	
(ii)	उपरोक्त में 1.81 करोड़ रुपये के अग्रिम और 3.75 लाख रुपये 2010-11 और 2006-07 से	अनुपालन के लिए नोट किया गया।

निर्माण कुपा 12

	क्रमशः एनआईसीएसआई और ईएमएमआरसी, असम विश्वविद्यालय के विरुद्ध शामिल हैं। अग्रिमों के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों को अधिक बताया गया है और व्यय/वापसी को 1.85 करोड़ रुपये से कम बताया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए एसएआर में भी इसका उल्लेख किया गया था।	
बी.	सामान्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में भविष्य निधि की बैलेंस शीट तैयार नहीं की गई है। प्रारूप के अनुसार ग्राहक की देनदारियों और ब्याज अधिशेष घाटे का अलग से खुलासा किया जाना / चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
सी.	सहायता अनुदान वर्ष 2020-21 के दौरान, सीईसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /एमएचआरडी से 14.86 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पास रु. 63.36 करोड़ रुपये प्रारंभिक जमा के थे। इसे वर्ष के दौरान 1.12 करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। 79.34 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से, इसने रु 14.89 करोड़ का उपयोग किया। 31 मार्च 2021 को 64.45 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि छोड़कर।	नोट किया गया।

3. शिक्षक शिक्षा के लिए अंतरविश्वविद्यालय केंद्र-, वाराणसी

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा ज्ञापन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उत्तर
ए .	सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, इस केंद्र ने 30.59 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्राप्त किया और 22.58 लाख रुपये का ब्याज प्राप्त किया।। इसमें 1 अप्रैल 2020 तक 5.74 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस था। कुल उपलब्ध निधि 36.55 करोड़ रु.में से केंद्र	दिखाए गए आंकड़े तथ्यात्मक रूप से सही हैं और आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

निगोपे कुपा 12

	ने रु.33.93 करोड़ उपयोग किया, 31 मार्च 2021 तक रुपये 2.62 करोड़ की शेष राशि छोड़कर।	
--	---	--

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इन्फ्लिबनेट), गांधीनगर

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा ज्ञापन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उत्तर
ए.	सामान्य महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार संख्या 6 मूल्यहास विधि और (लिखित मूल्य पद्धति) इसकी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर लगाया जाता है। यह लेखा नीति शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो उसमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास वसूलने का प्रावधान करती है।	केंद्र, वर्तमान में केंद्र की वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मूल्यहास और दरों की डब्ल्यूडीवी पद्धति का पालन कर रहा है। हालाँकि, जैसा कि ऑडिट द्वारा सुझाया गया है, केंद्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से 34 वीं वित्त समिति में अनुमोदित के रूप में इसे लागू करेगा।
बी.	अनुदान सहायता: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्र को 7.34 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और 1 अप्रैल 2020 तक 6.47 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष सहायता अनुदान था। उपलब्ध धनराशि रु. 13.81 करोड़ में से, केंद्र ने 12.56 करोड़ रुपये का उपयोग किया, 1.25 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त अनुदान को 31 मार्च 2021 तक छोड़ दिया।	यह सत्य है।

5. अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र (आईयूसीएए), पुणे

ए ए.1 ए.1.1	बैलेंस शीट संपत्ति अचल संपत्ति अनुसूची)7 और 11 ए- (71.23 करोड़ महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3.1 के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दी गई दरों के अनुसार मूल्यहास को लिखित मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। यह लेखा नीति शिक्षा	बिंदु आगे की कार्रवाई के लिए नोट किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार आवश्यक मूल्यहास दर परिसम्पत्तियों पर प्रभारित किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खातों को अंतिम रूप देने के दौरान पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन किया जाएगा।
-------------------	---	--

निगोष कुपा 12

	मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास चार्ज उसमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार करने का प्रावधान करती है।	
बी.	सामान्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर खातों में उपदान और अवकाश नकदीकरण किया जाना है। IUCAA, ने 1.16 करोड़ रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान किया। (ग्रेच्युटी रु. 0.49 करोड़ और अवकाश नकदीकरण रु. 0.67 करोड़) वर्ष के दौरान और कुल प्रावधान रु.14.48 करोड़ (ग्रेच्युटी: 6.78 करोड़ रुपये और छुट्टी नकदीकरण: 7.70 करोड़ रुपये) वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के तहत दिखाया गया है लेकिन यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं है। IUCAA, पुणे ने आस्थगित आय के तहत एक समान राशि दिखाई है केंद्र ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप में निर्धारित अनुसूची 15ए भी तैयार नहीं की है।	आईयूसीए को बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत "ट्रस्ट" और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत "सोसायटी" के रूप में पंजीकृत किया गया है। हमने जाँच की है कि एएस (15) बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति सभी न्यासों/सोसायटी पर लागू नहीं होती है। हम आपके अवलोकन के लिए इस विषय पर विशेषज्ञों - द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रासंगिक लेख संलग्न कर रहे हैं। इस लेख के विशेषज्ञों ने उन संस्थाओं (ट्रस्ट और सोसाइटी के अलावा) के बारे में विस्तार से बताया है जिन पर एएस (15) लागू है। हमें पत्र संख्या 20/21 चार्ज-VI/804 दिनांक 23.3.2021 के तहत पैरा "सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान बीमांकिक आधार पर नहीं" को बंद करने के संबंध में डीजीएसी से पहले ही पत्र प्राप्त हो चुका है। हालांकि, हम समझते हैं कि खातों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना है, हम सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन लागू करेंगे। वित्तीय वर्ष के अंतिम खातों में आवश्यक प्रस्तुति को दर्शाया जाएगा। 2021-22।
सी..	सहायता अनुदान आईयूसीए को वर्ष के दौरान 50.18 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई और वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित यूसी के अनुसार 13.72	यह सत्य है।

प्रतिगोप्य कुपा 12

	करोड़ रुपये के अनुदान की अप्रयुक्त अग्रेषित शेष राशि है। इसे वर्ष के दौरान 0.58 करोड़ रुपये की आंतरिक आय हुई। कुल उपलब्ध धनराशि रु. 64.48 करोड़ में से, रुपये 43.06 करोड़ का इस्तेमाल किया और रुपये 41.5 लाख का समर्पण अनुदान किया। 31 मार्च 2021 तक 21.01 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त सहायता अनुदान छोड़कर।	
--	---	--

6. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरु

ए ए.1 ए.1.1	आय और व्यय आय प्राप्त अनुदान अनुसूची)8) -रु. 8.48 करोड़ उपरोक्त में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त (डीएसटी)32.44 लाख रुपये का संपूर्ण अनुदान शामिल है जबकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए 5.04 लाख रुपये इस अनुसूची के अंतर्गत दिखाए जाने चाहिए थे और शेष राशि रु. 27.40 लाख वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया है पूंजीगत निधि के परिणामी - अतिकथन के साथ प्राप्त अनुदान और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को 27.40 लाख रुपये से कम करके दिखाया गया है।	यह डीएसटी परियोजना के लिए जारी किया गया एक अलग अनुदान है क्योंकि सभी अनुदान आय के तहत दिखाए जाते हैं, इसे भी केवल आय के तहत ही गिना जाता था। खर्च भी अलग से दिखाया गया है। इसलिए आय का कोई अतिकथन नहीं है।
बी.	खातों के लिए नोट्स लेखा संख्या 6 की टिप्पणियों के अनुसार, कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण और उपदान का लेखा नकद आधार पर किया जाता है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। खातों के लिए यह नोट शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो यह निर्धारित करता है कि बीमांकिक	यूजीसी के निर्देशानुसार कर्मचारियों को देय पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता खातों में नहीं बनाई गई है। प्रत्येक वर्ष उस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशनभोगियों के लाभ के लिए आवश्यक राशि को संबंधित बजट में दिखाया जाएगा और यूजीसी को भेजा जाएगा। यूजीसी आवश्यक राशि आवंटित करेगा।

निगोपु कुपा२

	मूल्यांकन के आधार पर खातों में सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान किया जाना चाहिए।	
सी..	सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनएएसी को 8.15 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ (जिसमें से वेतन के लिए अनुदान 811.55 लाख रुपए था और रखरखाव के लिए रु.3.69 लाख था) जिसका पूरा उपयोग किया गया	नोट किया गया।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगवैज्ञानिक अनुसंधान संघ (डीआई-यूजीसी) परमाणु ऊर्जा विभाग -, इंदौर

ए ए.1 ए.1.1	बैलेंस शीट निधियों के स्रोत वर्तमान देयताएं और प्रावधान -अनुसूची)3)- रु .30.78 करोड़ उपरोक्त में 198.08 करोड़ रुपये के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, इस आधार पर कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त प्रावधानों के लिए रु.197.74 करोड़ रुपये को उपरोक्त अनुसूची में "अन्य निधिआवर्ती - अनुदान सामान्य निधि खाता" मद की व्यवस्था की गई है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को करोड़ 197.74 रुपये से अधिक बताया गया है।	शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान की राशि को व्यय में डेबिट किया गया है और बाद में आय और व्यय खाते में दिखाया गया है। चूंकि उक्त प्रावधान की राशि के लिए यूजीसी से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, आय और व्यय खाते में आय से अधिक व्यय है। आय से अधिक व्यय को अनुसूची 3 डी "अन्य निधि-आवर्ती अनुदान सामान्य निधि खाता" में स्थानांतरित कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान के संबंध में खातों की पुस्तकों में कोई विपरीत प्रविष्टि पारित नहीं की गई है और इसलिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप का कोई उल्लंघन नहीं है।
ए. 2 ए.2.1	निधियों का अनुप्रयोग ऋण, अग्रिम और जमा अनुसूची)7) - रु .2.05 करोड़ इसमें परियोजना प्रभारी से प्राप्त होने वाली 14.87	21 मार्च से 21 जून के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में आने के कारण परियोजना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत

निर्माण कुपा 12

	लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा और पूंजीगत निधि को 14.87 लाख रुपये से कम बताया गया।	करने में देरी हुई। हालांकि, अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट किया गया है।
बी.	खातों पर नोट्स इसमें इस तथ्य के बारे में खुलासा शामिल नहीं है कि जिस भूमि पर कंसोर्टियम का भवन बना है, उसका स्वामित्व देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के (डीएवीवी) पास है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
सी	सामान्य एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए ₹19.57 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि एबी के एनपीएस कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी लागू होने के बावजूद सरकार के पास विचाराधीन (अर्थात् लंबित) है। इसके अलावा, इस तथ्य का खुलासा नोट टू अकाउंट्स में नहीं किया गया है।	यह अनुसूची -4 में टाइपोलॉजिकल त्रुटि के कारण हुआ। हालांकि, आय और व्यय खाते में दिखाया गया मूल्यहास का आंकड़ा सही है और अंतिम खाते पर अंतर का प्रभाव पड़ता है।
डी.	सहायता अनुदान वर्ष 2020-21 के दौरान यूजीसी, डीआई, कंसोर्टियम को 24.43 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसके अलावा, संस्थान के पास रु. 28.61 करोड़ का अव्ययित शेष था। {(पिछले वर्ष के 27.04 करोड़ रुपये के अंतिम शेष को शुद्ध ब्याज और 1.57 करोड़ रुपये की विविध प्राप्तियों को जोड़कर अद्यतन किया गया है। 2.48 करोड़ रुपये - 0.91 करोड़ रुपये (यूजीसी को वापस))। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 53.04 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध धनराशि में से 41.62 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था, 11.42 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया था।	नोट किया गया।

निर्माण कुपा 2

8. इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु

ए ए.1 ए.1.1 (i)	बैलेंस शीट देयताएं वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 2)- रु.-शून्य उपरोक्त में रुपये 55.70 लाख की अप्रयुक्त सहायता अनुदान शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को रु 55.70 लाख से अधिक बताया गया।	आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं और अगले वित्तीय वर्ष के विवरण में दिखाई देंगे
(ii)	सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान पर सभी ब्याज या अन्य आय अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। IUCYS ने रु 2.60 लाख का ब्याज यूजीसी से प्राप्त सहायता अनुदान पर अर्जित किया। (2019-20: 0.25 लाख रुपये और 2020-21: 2.35 लाख रुपये) जो न तो यूजीसी को वापस किया गया था और न ही इसके लिए देयता बनाई गई थी। इसके बजाय इसे खातों में आय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को रुपये 2.60 लाख से अधिक बताया गया है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
बी. बी.1 बी.1.1	आय और व्यय खाता: आय अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची 6)- रु. शून्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान को उपरोक्त अनुसूची के तहत दिखाया जाना है। हालांकि, आईयूसीवाईएस ने उपरोक्त अनुसूची में 26.17 लाख रुपये के राजस्व व्यय के	आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं और यह अगले वित्तीय वर्ष के विवरण में दिखाई देगा।

प्रतिगोप्य कुपा 12

	लिए उपयोग किए गए अनुदान का खुलासा नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अनुदान/सब्सिडी और आय को रु 26.17 लाख कम बताया गया ।	
सी	सामान्य 1 अप्रैल, 2013 से यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थान को लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करना है, लेकिन आईयूसीवाईएस ने खातों के नकद आधार का पालन किया है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
डी.	अनुदान सहायता आईयूसीवाईएस को 2020-21 के दौरान कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, इसमें 82.12 लाख रुपये (81.87 लाख रुपये + 0.25 लाख रुपये ब्याज वित्त वर्ष 2019-20) की शुरुआती शेष राशि थी। 2020-21 के दौरान रुपये 2.35 लाख की ब्याज आय अर्जित की । कुल कोष रु. 84.47 में से, इसने रु.26.17 लाख का उपयोग किया और रु. 58.30 लाख 31 मार्च 2021 तक अव्ययित राशि है ।	रिकॉर्ड से संबंधित है।

निगोपे कुपा 2

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक ।

1-	1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता ➤ यूजीसी के क्षेत्रीय केंद्रों और अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा यूजीसी की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा की जाती है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी इकाई (8 आईयूसी और 6 आरओ) का आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया है।	नोट किया गया।
2-	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता ➤ यूजीसी के आंतरिक नियंत्रण को इस प्रकार मजबूत करने की आवश्यकता है: 2012-13 और 2013-14 में 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को शिक्षा स्कूलों की स्थापना के लिए 130 करोड़ रुपये जारी किए गए में से, रुपये 80.11 करोड़ केवल दिसंबर 2018 तक उपयोग किया गया था, स्कूलों की स्थापना के बाद इन सीयू के साथ रु 60.11 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया। सीयूज ने न तो यूसी प्रस्तुत किए हैं और न ही रु 60.11 करोड़ की अव्ययित राशि यूजीसी को वापस की है। यह यूजीसी द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी को दर्शाता है।	यूजीसी ने स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना के लिए 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 13000.00 लाख रुपये जारी किए। 31.12.2018 को, 8010.86 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था और 31.12.2018 को अनुदान पर अर्जित ब्याज सहित 6010.73 लाख रुपये की राशि खर्च नहीं की गई थी। यूजीसी ने अपने पत्र सं. एफ. 9-6/2018 (सीयू) दिनांक 03.07.2019 ने 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए जारी अतिरिक्त अनुदान के निपटान के लिए अनुरोध किया है और 31.03.2019 को व्यय/यूसी का विवरण प्रस्तुत करें और अव्ययित शेष, यदि कोई हो, वापस करें।
	➤ उपयोग प्रमाण पत्र रु.560.64 करोड़ और रु. 385 करोड़ क्रमशः 2018-19 और 2019-20 के दौरान पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए 42 सीयू को जारी किए गए, मार्च 2021 तक लंबित थे।	एसएआर और कुछ अन्य दस्तावेजों की प्रति के साथ ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अंतिम यूसी नोट किया जाता है। बारहवीं योजना अवधि के लिए पूंजीगत संपत्ति के तहत खातों का अंतिम निपटान प्रक्रियाधीन है क्योंकि बारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी अनुदान के उपयोग के लिए समय का विस्तार 31.03.2019

निगोपु कुपा 2

		था और अनुदान के उपयोग के लिए समय के विस्तार के लिए प्राप्त विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को अंग्रेषित किया गया था। शिक्षा मंत्रालय (एमओई)। MoE ने अपने पत्र संख्या 4-12/2020-CU.VII दिनांक 18.02.2021 के माध्यम से 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए OH-35 के तहत जारी अनुदान के उपयोग की अवधि बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पूंजीगत संपत्ति के तहत खातों का अंतिम निपटान प्रक्रियाधीन है क्योंकि अनुदान के उपयोग की समय सीमा क्रमशः 31.12.2019 और 31.10.2020 तक बढ़ा दी गई है।
	➤ उपयोगिता प्रमाणपत्र रु. 136.43 करोड़ 162 राज्यों के विश्वविद्यालयों में से 117 को जारी, मार्च 2021 तक बकाया थे।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
	➤ 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 105 बाह्य लेखापरीक्षा के पैरा बकाया थे।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
	➤ 2008 से यूजीसी की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।	यूजीसी ने फर्नीचर और फिक्स्चर और कंप्यूटर और उसके सामान के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया है। भौतिक सत्यापन प्रक्रियाधीन है, जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, इसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा।
3-	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	उपरोक्त
	➤ यूजीसी (मुख्यालय) के फर्नीचर और फिक्स्चर और कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण का भौतिक सत्यापन दिसंबर 2008 तक किया गया था और तब से आज तक कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।	
	➤ यूजीसी के आरओ की अचल संपत्तियों से संबंधित भौतिक सत्यापन 31.03.2021 तक किया गया था।	नोट किया गया।
	➤ आईयूसी की अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:	

निगोपु कुपा 12

क्रम संख्या	आईयूसी के नाम	PV तक किया गया
1.	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली	2020-21
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर यूनिवर्सिटी, वाराणसी	2019-20
3.	शैक्षिक संचार के लिए संघ, नई दिल्ली	2018-19
4.	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर	2020-21
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनाॅमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे	2020-21
6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु	वर्ष 2020-21 के लिए आयोजित नहीं किया गया
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संघ, इंदौर	2020-21
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई अचल संपत्ति नहीं

नोट किया गया।

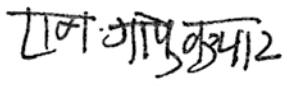
4.	माल के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
➤	यूजीसी (मुख्यालय) के उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन 2020-21 तक किया गया था।	नोट किया गया।
➤	यूजीसी के आरओ के स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्रियों से संबंधित भौतिक सत्यापन 31.03.2021 तक किया गया था।	नोट किया गया।
➤	आईयूसी की सूची के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:-	

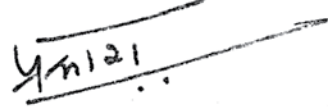
क्रम संख्या	आईयूसी के नाम	PV तक किया गया
1.	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली	2020-21
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर यूनिवर्सिटी, वाराणसी	2019-20
3.	शैक्षिक संचार के लिए संघ, नई दिल्ली	2018-19
4.	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर	2020-21
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनाॅमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे	कोई इन्वेंट्री नहीं बनाया गया।
6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु	सूचना प्रदान नहीं की गई।
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संघ, इंदौर	2020-21
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	स्थापना के बाद से

प्रतिगोप्य कुपा 12

	नहीं किया गया (2019-2020)
--	------------------------------

5.	वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता	
➤	खातों के अनुसार, यूजीसी के संबंध में 31.03.2020 तक सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।	नोट किया गया।
➤	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीईई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, इंदौर के संबंध में 31.03.2021 को सांविधिक देय राशि रु.3.73 लाख लंबित थी।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।


 (डॉ. एन. गोपकुमार)
 संयुक्त सचिव


 (प्रकाश कुमार ठाकुर)
 वित्तीय सलाहकार